समझें – क्या हैं बाल अधिकार

मीडिया पेशेवरों के लिए एनसीपीसीआर की विवरण पुस्तिका

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

सहयोग

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ (सीएमएस)

नई दिल्ली

बाल अधिकारों को समझें

मीडिया पेशेवरों के लिए एनसीपीसीआर की विवरण पुस्तिका

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

सहयोग

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ (सीएमएस)

नई दिल्ली

प्रस्तावना

हमारे देश की कुल जनसंख्या में से 39 प्रतिशत संख्या बच्चों की है। भारत के संविधान में बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि बच्चों को विकास के अवसर दिये जाएं और उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। किन्तु यदि बच्चों के अधिकारों पर संकट उत्पन्न होता है तो उसका सामना करने में सरकार, बाल अधिकार संगठनों तथा मीडिया की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है।

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उस पर बाल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की घटना को सही प्रकार से उठाने और उसे आवश्यक कार्रवाही के लिए संबंधित प्राधिकरण के सामने रखने की जिम्मेदारी रहती है। दुर्व्यवहार और शोषण की दिनप्रतिदिन होने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग के जरिए कठिन परिस्थितियों मे रहने वाले बच्चों की गंभीर दशा को एक्पोज़ करके मीडिया बाल अधिकारों की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया को बच्चों के संरक्षण के लिए देश में प्रचलित कानूनों, संधियों, योजनाओं, कार्यक्रमों सहित विभिन्न उपायों और प्रणालियों की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है।

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए देश में विद्यमान बाल संरक्षण के विभिन्न कानूनों के बारे में मीडियकर्मियों को जानकारी देने और उनकी सहायता करने के लिए, मुझे इस व्यापक संकलन अर्थात 'बाल अधिकारों को समझें – मीडिया पेशेवरों के लिए एनसीपीसीआर की विवरण पुस्तिका' को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जिसे सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ (सीएमएस) के सहयोग से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने तैयार किया है। यह पुस्तक सरल संदर्भों के लिए एक उपयोग संकलन है।

मुझे आशा है कि यह मीडिया पुस्तक हमारे देश के बच्चों के हित में उनके विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय उनके अधिकारों के स्वरूप को विकसित करने के लिए उपयोगी रहेगी।

इस पुस्तिका में और सुधार करने के लिए सुझाव देने वालों का स्वागत है।

कृते

(स्तुति कक्कड़)

आभार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सुश्री पी.एन. वसंती, निदेशक और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ (सीएमएस), नई दिल्ली की मीडिया टीम से मिले सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

आयोग इस पुस्तिका के लिए अपने मूल्यवान सुझाव और सामग्री देने हेतु आयोग के माननीय सदस्यों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

हम श्री जी. मोहंती, आईआईएस (सेवानिवृत्त), सलाहकार (मीडिया) और एनसीपीसीआर की मीडिया टीम, विशेषकर सुश्री ज्योति चौपड़ा के प्रति भी समय पर सीएमएस को सामग्री उपलब्ध कराने और उनके अनथक प्रयासों के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। आयोग श्री ए.के. नंदा, वरिष्ठ परामर्शदाता (कार्यक्रम), एनसीपीसीआर तथा सुश्री सिंधु नांबियाथ को भी इस पुस्तिका के मसौदे का संपादन करने के लिए धन्यवाद देता है। साथ ही, आयोगकर्मियों को भी पुस्तक तैयार करने में दिये गये उनके सहयोग के लिए धन्यवाद प्रकट किया जाता है।

भारत में बच्चों पर एक सिंहावलोकन

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 1.2 बिलियन की आबादी में से, 472 मिलियन (39 प्रतिशत) लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। भारत के अधिकांश बच्चे (73 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, 2016 के अनुसार, लगभग 27.5 प्रतिशत बच्चे विकास की मुख्य धारा में न होकर हाशिए पर हैं और वंचित समुदायों से आते हैं। गरीबी में रहने वाले बच्चे कुपोषण, स्वास्थ्य विकारों, प्रवासन, तस्करी और कई अन्य अभावों से ग्रस्त हैं, जिससे उनके अस्तित्व, विकास, संरक्षण और सार्थक भागीदारी के अधिकार को खतरा बना रहता है।

भारत का संविधान देश के सभी बच्चों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, विशेष रूप से बच्चों को एक कोमल आयु से ही दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य का मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर और सुविधाएं दी जाएं। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि बच्चों का बचपन शोषण से मुक्त रहे, और नैतिक और भौतिक परित्याग उसके रास्ते में न आए।

सरकार ने अपनी इस प्रतिबद्धता को स्वीकार किया है और कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के कल्याण के लिए काम किया है। 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीसी) को अपनाना एक ऐसी ही पहल थी जिसका बाद में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013 के रूप में अद्यतन किया गया और अपनाया गया। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति ने बच्चों के लिए देश की परिकल्पना को साकार किया और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने की प्रतिबद्धता जताई। इस नीति ने ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान भी की जो अस्तित्व, विकास, सुरक्षा, और भागीदारी हैं।

1974 में एनपीसी के कई महत्वपूर्ण उपायों पर अमल किया गया, जैसे कि 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) को लागू करना, बचपन की देखभाल, टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पूरक पोषण प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान देना।

देश के 84 मिलियन से अधिक बच्चों को शामिल करने वाले 1.34 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ, देश के शिक्षा कार्यक्रम की पहुंच 14 लाख से अधिक स्कूलों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 230 मिलियन बच्चों तक है जिसके लिए 77 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत कमजोर समुदायों के 100 मिलियन से अधिक बच्चों तक पहुंचने वाले स्कूली मिड डे मील कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने अब बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 विकसित की है, जो बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 में निहित सिद्धांतों पर आधारित है और एक ऐसा रोड मैप प्रदान करती है जो नीतिगत उद्देश्यों को कार्य करने योग्य कार्यक्रमों से जोड़ती है। यह कार्य योजना भारत में बच्चों के लिए की गई संवैधानिक और नीतिगत प्रतिबद्धताओं की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय कार्य योजना अर्थात नेशनल प्लान ऑफ एक्शन को सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी), 2030 से जोड़ा गया है।

सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप 1992 से 2014 तक आईएमआर (प्रति 1000 जीवित जन्मों में) 78.5 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत रह गया है; एमएमआर (1,00,000 जीवित जन्मों में) 1997–98 में रहे 398 से घटकर 167 रह गया है; संस्थागत प्रसव 26.1 प्रतिशत से बढ़कर 78.7 प्रतिशत हो गए हैं और 1992–93 से 2013–14 तक पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चों की कवरेज 35.4 प्रतिशत से बढ़कर 65.3 प्रतिशत हो गई है। साक्षरता दर 1991 में 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई है; बाल श्रम 1991 में 112.85 लाख से घटकर 2011 में 43.5 लाख हो गया है।

सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ, जहां एक ओर कुछ क्षेत्रों में फलदायक उपलब्धियां हासिल हुईं हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक प्राप्ति, राजनीतिक और संस्थागत अतीत एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं में विविधता वाले इस देश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सेवाओं की गुणवत्ता सुसंगत नहीं है और चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे कमजोर हैं और विकास की मुख्य धारा से दूर हाशिए पर मौजूद हैं। उन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। वे बाल देखरेख संस्थानों में या फिर सड़कों पर रहते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, उनके लिए कोई स्वास्थ्य सहायता नहीं है और वे कुपोषण से पीड़ित हैं। बच्चों की तस्करी की जाती हैं, उन्हें अपने घरों से दूर प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है और वे दुरुपयोग, अत्याचार और शोषण का सामना करते हैं। इनमें से कुछ बच्चे विधि विरुद्ध पाये जाते हैं। बाल विवाह, बाल तस्करी और लड़कियों के साथ होने वाला भेदभाव भी गंभीर चुनौतियां हैं।

आज के बदलते संदर्भ में, बच्चों की तस्करी, बच्चों की बिक्री, उनको दिया जाने वाला शारीरिक दंड और बाल पोर्नोग्राफी अर्थात अश्लीलता के मुद्दे विद्यमान हैं। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में खतरनाक स्तर तक वृद्धि हुई है जो मुख्य रूप से यौन शोषण और अपहरण से संबंधित हैं।

संक्षिप्त शब्द

ए.एस.डी.आई.	भारत में दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं से हुई मृत्यु
ए.डब्ल्य.सी.	आंगनवाड़ी केन्द्र
सी.ए.आर.ए.	केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी
सी.सी.एल.	विधि के विरुद्ध पाया गया बालक
सी.एन.सी.पी.	देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद बालक
सी.आर.सी.	बाल अधिकारों पर समझौता
सी.आर.पी.सी.	दण्ड प्रक्रिया संहिता
सी.डब्ल्यू.सी.	बाल कल्याण समिति
सी.डब्ल्यू.ओ.	बाल कल्याण अधिकारी
सी.डब्ल्यू.पी.ओ.	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
डी.सी.आर.बी.	जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
डी.आई.एस.ई.	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
डी.एल.एस.ए.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
ई.सी.सी.ई.	पूर्व बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा
आई.सी.डी.एस.	समेकित बाल विकास योजना
आई.एम.आर.	शिशु मृत्य दर
आई.एल.ओ.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन
आई.पी.सी.	भारतीय दण्ड संहिता
आई.टी.ए.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
जे.जे. एक्ट	किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
जे.जे.बी.	किशोर न्याय बोर्ड
एल.एस.ए.	विधिक सेवा प्राधिकरण

एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एम.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.एम.आर.	मातृ मृत्यु दर
एम.डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एन.एन.पी.	राष्ट्रीय पोषण नीति
एन.सी.ई.आर.टी.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
एन.सी.एल.पी.	राष्ट्रीय बाल श्रम नीति
एन.सी.टी.ई.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
एन.पी.ई.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एन.सी.पी.सी.आर.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एन.एफ.एच.एस.	राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वे
एन.एच.आर.सी.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
एन.पी.सी.	राष्ट्रीय बाल नीति
एन.पी.ए.सी.	राष्ट्रीय बाल कार्ययोजना
एन.सी.एल.पी.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

पी.सी.पी.एन.डी.टी.	गर्भावस्था पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक
पॉक्सो एक्ट	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
आर.एस.ओ.सी.	बच्चों का तीव्र सर्वे
आर.टी.ई. एक्ट	बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
एस.सी.पी.सी.आर.	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एस.ए.ए.	विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी
एस.जे.पी.यू.	विशेष किशोर पुलिस इकाई

एस.आर.एस.	नमूना पंजीकरण प्रणाली (भारत की जनगणना)
एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान
यू.एन.सी.आर.सी.	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता

भाग 1

बाल अधिकारों का संरक्षण करने वाले साधन

बाल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से करार, संधियां, कानून और घोषणा पत्र तैयार किये गये हैं। इस भाग में सुसंगत कानूनी संरचनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय साधन

1.1 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता (यूएनसीआरसी)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में बाल अधिकारों पर अपनाए गए समझौते को अधिकांश विकसित तथा (भारत सहित) विकासशील देशों द्वारा सुस्वीकृत साधन के तौर पर अंगीकृत किया गया है। इस समझौते में सभी देशों द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए तय किये गये मानकों का पालन किया जाता है और बच्चों के मौलिक अधिकारों की रूपरेखा तैयार की जाती है। सम्मेलन की पुष्टि करने वाले देश कानूनी रूप से इसके प्रावधानों से बंधे हुए हैं। वे नियमित रूप से सम्मेलन के प्रावधानों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों पर बच्चे के अधिकारों पर एक विशेषज्ञ समिति को रिपोर्ट करते हैं।

यूएनसीआरसी के अनुसार बाल अधिकार 18 वर्ष से कम की आयु के प्रत्येक व्यक्ति का न्यूनतम हक और स्वतंत्रता है और इन्हें उपलब्ध कराते समय प्रजाति, रंग, जेन्डर, भाषा, पंथ, मत, उत्पत्ति, संपदा, जन्म की स्थिति या क्षमता को आधार नहीं बनाया जा सकता और इसलिए यह हर जगह सभी लोंगों पर समान रूप से लागू होंगे। यूएनसीआरसी में कुल 54 अनुच्छेद हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में एक भिन्न प्रकार के अधिकार का वर्णन है जैसे :

- **जीवन जीने का अधिकार**
- **विकास संबंधी अधिकार**
- **संरक्षण का अधिकार**
- **सहभागिता का अधिकार**

समझौते के अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि :

i) किसी भी बच्चे की निजता, परिवार, या पत्राचार के साथ मनमाना या गैरकानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी हमला किया जाएगा।

ii) बच्चे को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।

समझौते के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि दंडात्मक कानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चे की गोपनीयता को कार्यवाही के सभी चरणों में संरक्षित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2005 में, भारत सरकार ने सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी और बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी के संबंध में यूएनसीआरसी में दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल स्वीकार किए। भारत बच्चों को हिंसा और शोषण के इन खतरनाक रूपों से बचाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति और उपायों को मजबूत कर रहा है।

अन्य जानकारी के लिए कृपया http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf पर विजिट करें।

राष्ट्रीय साधन

1.2 भारत का संविधान

भारतीय संविधान में बच्चों की संकटग्रस्तता को मान्यता प्रदान की गई है और इसलिए उनके संरक्षण के अधिकारों को मान्यता दी गई है। रक्षात्मक भेदभाव के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए संविधान के अनुच्छेद 15 में आवश्यक और विशेष कानूनी प्रावधानों एवं नीतियों के जरिए बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है जिससे उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 19(1) (क), 21, 21(क), 23, 24, 39(ङ), 39(च) तथा 45 में समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किये गये हैं और ये अधिकार भारत के सभी लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा और कल्याण के प्रति देश के समर्पण को दुहराते हैं। इस संबंध में सुसंगत अनुच्छेद निम्नानुसार हैं :

अनुच्छेद 14 : राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 : राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 (3) : इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 19 (1) (क) : सभी नागरिकों को वाक्–स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 21 : किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 21 (क) : छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध : मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 24 : चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 39 : राज्य अपनी नीति का विशेष रूप से इस प्रकार संचालित करेगा कि सुनिश्चित रूप से

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों ;

(च) बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 45 : राज्य सभी बच्चों के लिए लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

1.3 अन्य प्रमुख कानूनी प्रावधान

क) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (बाल अधिकार अधिनियम, 2005)

- इस अधिनियम के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश में एक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) का गठन किये जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय तथा राज्य आयोग के कार्य व शक्तियां निम्नानुसार हैं :
- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी रक्षोपायों की परीक्षा व समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- इन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट तैयार करके केन्द्र सरकार को भेजना।
- बाल अधिकारों के उल्लंघन के प्रसंगों की जांच करना और जहां आवश्यक हो प्रक्रिया प्रारम्भ करने की सिफारिश करना।
- संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय साधनों के संदर्भ में बाल अधिकारों से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों की समय–समय पर समीक्षा करना।

- समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों तथा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों में त्वरित गति से सुनवाई के लिए बाल न्यायालयों की स्थापना करना।
- राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से प्रत्येक बाल न्यायालय के लिए एक विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति करवाना।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

एनसीपीसीआर की स्थापना मार्च, 2007 में नई दिल्ली में की गई। आयोग को यह सुनिश्चित करने का शासनादेश प्राप्त है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के उपबंधों कें अनुसार हों। एनसीपीसीआर बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता और पवित्रता के सिद्धांत पर जोर देता है और देश में विद्यमान सभी बाल संबंधी नीतियों में त्वरित कार्रवाई किये जाने की मांग करता है।

एनसीपीसीआर के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :

क) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रचलित कानूनों द्वारा या उनके अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए रक्षोपायों की परीक्षा व समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

ख) उपरोक्त रक्षोपायों पर की गई कार्रवाई के संबंध में केन्द्र सरकार को वार्षिक रूप से, अथवा आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्तराल में रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

ग) बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में जांच करना और ऐसे मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए सिफारिश करना;

घ) आतंकवाद, सामुदायिक हिंसा, दंगे–फसाद, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, बाल तस्करी, कुपोषण, प्रताड़ना व शोषण, पॉर्नोग्राफी तथा वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों के मार्ग में आ रही बाधाओं की जांच करना और समुचित उपचारात्मक उपाय करने की सिफारिश करना;

ङ) विशेष देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामलों पर ध्यान देना। इनमें तनावग्रस्त, अधिकारहीन और सुविधाहीन बच्चे, विधि के विरुद्ध पाये गये बच्चे, किशोर, परिवाररहित बच्चे और कारागार बंदियों के बच्चे भी शामिल है। समुचित उपचारात्मक उपायों की सिफाशि करना;

च) बाल अधिकारों पर संधियों व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय साधनों का अध्ययन करना तथा प्रचलित नीतियों, कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों की समय–समय पर समीक्षा करना और बच्चों के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए इन नीतियों आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना;

छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य करना और इसे प्रोत्साहित करना;

ज) समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों से संबंधित जागरूकता फैलाना और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों व अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिए इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना;

झ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन कार्यरत किसी किशोर अभिरक्षा गृह, या बच्चों के निवास के लिए बनाए गए किसी अन्य स्थल या संस्थान का निरीक्षण करना या करवाना। इसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित कोई संस्था भी शामिल है जहां बच्चों को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए रखा गया हो। यदि आवश्यक हो, तो इन प्राधिकरणों से उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करना;

ञ) शिकायतों की जांच करना और निम्नलिखित मामलों में स्व प्रेरणा से संज्ञान लेना :

i. बाल अधिकारों की वंचना और उल्लंघन;
ii. बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए उपलब्ध कराये गये कानूनों का कार्यान्वयन न किया जाना;
iii. बच्चों की कठिनाइयां कम करने वाले और उनका कल्याण सुनिश्चित करने वाले नीति–निर्णयों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का कार्यान्वयन न किया जाना। ऐसे बच्चों को राहत पहुंचाना, या ऐसे मामलों से निकलने वाले मुद्दों को यथोचित प्राधिकारी के साथ उठाना; और

त) ऐसे अन्य कार्य जो बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे जाएं और इन कार्यों से संबंधित अन्य मामले।

एनसीपीसीआर नियम, 2006 के अनुसार आयोग द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त कार्य :

क) बाल अधिकार समझौते की अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए प्रचलित कानूनों, नीतियों और प्रथाओं का आकलन करना, जांच करना और बच्चों को प्रभावित करने वाली किसी भी नीति या प्रैक्टिस के पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करना। बाल अधिकारों के नजरिये से किसी नये प्रस्तावित कानून पर अपनी टिप्पणी देना;

ख) उपरोक्त रक्षोपायों पर की गई कार्रवाई के संबंध में केन्द्र सरकार को वार्षिक रूप से, अथवा आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्तराल में रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

ग) ऐसे मामलों में औपचारिक जांच करना जिनमें स्वयं बच्चों द्वारा या उनकी ओर से किसी अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा चिंता व्यक्त की गई हो;

घ) यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिकताओं या दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए बच्चों के नजरिये के माध्यम से आयोग के कार्यों की सूचना प्रत्यक्ष पहुंचे;

ङ) आयोग के कार्यों तथा बच्चों से संबंधित सभी सरकारी विभागों एवं संगठनों में बच्चों के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, उसका सम्मान करना तथा उसपर गंभीर चिंतन करना;

च) बाल अधिकारों से संबंधित सूचना का उत्पादन तथा प्रचार–प्रसार करना;

छ) बच्चों पर मौजूद आंकड़ों को संकलित करना तथा उसका विश्लेषण करना;

ज) बाल अधिकारों को स्कूल के पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण तथा बच्चों से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण से जोड़ने के प्रयास को बढ़ावा देना।

बाल अधिकारों के उल्लंघन पर एनसीपीसीआर में शिकायत दर्ज करवाना

आयोग को प्राप्त एक महत्त्वपूर्ण शासनादेश यह है कि वह बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों में जांच करे। आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों का स्व प्रेरणा से संज्ञान ले सकता है और बाल अधिकारों के मार्ग में बाधा बनने वाले कारकों की जांच कर सकता है।

i) **ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली–ईबालनिदान**

ईबालनिदान बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए आयोग द्वारा विकसित की गई एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। कोई भी व्यक्ति या संगठन, इसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निशुल्क दर्ज कर सकता है।

http/www.ebalnidan.nic.in/Welcome.aspx?ReturnUrl=%2f

ii) **पॉक्सो ई–बॉक्स**

पॉक्सो ई–बॉक्स लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत लैंगिक प्रहार के किसी मामले की रिपोर्ट करने का एक आसान, प्रत्यक्ष व गोपनीय माध्यम है। इस माध्यम को एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है जहां प्रयोगकर्ता को केवल पॉक्सो ई–बॉक्स नामक बटन दबाना होता है।

http://ncpcr.gov.in/index2.php

iii) **अन्य माध्यम**

आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर, फोन के जरिये, डाक द्वारा या ई मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एक व्यापक कानून है जिसने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लिया। यह देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीआईसीपी) और विधि के विरुद्ध पाए गए बच्चों (सीआईसीएल) के लिए सशक्त प्रावधान करता है और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं का ख्याल रखता है। साथ ही, बच्चों के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए मामलों के निपटारे के प्रति एक बाल हितैशी दृष्टिकोण रखता है। अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास का दृष्टिकोण भी अपनाता है।

बच्चों के विरुद्ध होने वाले ऐसे कई नए अपराधों को भी अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया है, जिन्हें किसी अन्य कानून के तहत अब तक कवर नहीं किया गया था। इन अपराधों में अवैध दत्तकग्रहरण सहित किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए बच्चों का क्रय–विक्रय, बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों को शारीरिक दण्ड दिया जाना, आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चों का इस्तेमाल, दिव्यांग बच्चों के विरुद्ध अपराध किया जाना तथा बच्चों का अपहरण जैसे अपराध शामिल है।

यह अधिनियम किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति की शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों में स्पष्टता का प्रावधान करता है। अधिनियम के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड को यह विकल्प दिया गया है कि वह किसी बाल अपचारी द्वारा किये गये जघन्य अपराध के मामलों को, प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद बाल न्यायालय (सत्र न्यायालय) को स्थानांतरित कर सकता है। मूल्यांकन में यह निर्धारित किया जाना होता है कि बाल अपचारी को वयस्क मानकर सुनवाई की जा सकती है या नहीं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के समान धारा 21 के अन्तर्गत इस आशय का एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत चल रही किसी कार्यवाही में शामिल विधि के विरुद्ध पाए गए किसी बच्चे या देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद किसी बच्चे के नाम आदि पहचान का प्रकाशन करना प्रतिबंधित होगा।

तालिका 1.1 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्राधिकरण

विभिन्न स्तरों पर किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत का कार्यरत प्राधिकरण / एजेंसियां / संस्थान / पदाधिकारी		
विवरण	**स्तर जिस पर स्थापित किया जाना है**	**स्थापना के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण**
बोर्ड		
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	राष्ट्रीय	केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सलाहकार बोर्ड	राज्य	चयन समिति के माध्यम से राज्य सरकार
जिला / नगरीय सलाहकार बोर्ड	जिला	राज्य सरकार
किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी)	जिला	चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार
समिति		
चयन समिति	राज्य	राज्य सरकार
केवल बाल गृहों के लिए निरीक्षण समिति	राज्य	राज्य सरकार
केवल बाल गृहों के लिए निरीक्षण समिति	जिला	चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार
बाल कल्याण समिति (सीएनसीपी)	जिला	चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार
बाल समिति	प्रत्येक संस्थान में	संस्थान का प्रभारी अधिकारी

प्रबंधन समिति	प्रत्येक संस्थान में	जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) या जहां डीसीपीयू न हो वहां जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधीश
प्राधिकरण / इकाई / संगठन / एजेंसी		
राज्य स्तरीय सहायता सेवा प्राधिकरण	राज्य	राज्य सरकार
राज्य बाल संरक्षण इकाई (एससीपीयू)	राज्य	राज्य सरकार
जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)	जिला	राज्य सरकार
विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)	जिला	राज्य सरकार
गृह / सांस्थानिक देखरेख सुविधाएं		
बाल गृह (सीएनसीपी)	जिला	राज्य सरकार
आश्रय गृह (सीएनसीपी)	जिला	राज्य सरकार
विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी (सीएनसीपी)	जिला	राज्य सरकार
पश्चात् देखरेख संगठन (सीसीएल+सीएनसीपी)	जिला	राज्य सरकार
संप्रेषण गृह (सीसीएल)	जिला	राज्य सरकार
विशेष गृह (सीसीएल)	जिला	राज्य सरकार
सुरक्षित स्थल (सीसीएल)	जिला	राज्य सरकार
अधिकारी		
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	जिला	राज्य का उच्च न्यायालय
परिवीक्षा अधिकारी	जिला	राज्य सरकार

कल्याण अधिकारी	जिला	राज्य सरकार
किशोर कल्याण अधिकारी	प्रत्येक पुलिस स्टेशन में	पुलिस उपाधीक्षक/अधीक्षक
एसजेपीयू में दो सामाजिक कार्यकर्ता	जिला	राज्य सरकार
नोट : राज्य सरकार का अभिप्राय बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा संबंधित राज्य विभाग है। कुछ राज्यों में यह महिला एवं बाल विकास/कल्याण विभाग होता है और कुछ अन्य जगह इसे समाज कल्याण/सामाजिक न्याय विभाग कहा जाता है।		

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) के मामलों में सक्षम प्राधिकरण बनाया गया है और किशोर न्याय बोर्ड को विधि विरुद्ध पाए गए बच्चों (सीसीएल) के मामलों में अंतिम न्याय प्राधिकरण माना गया है।

रेखा चित्र 1.1 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ बर्ताव की प्रक्रिया

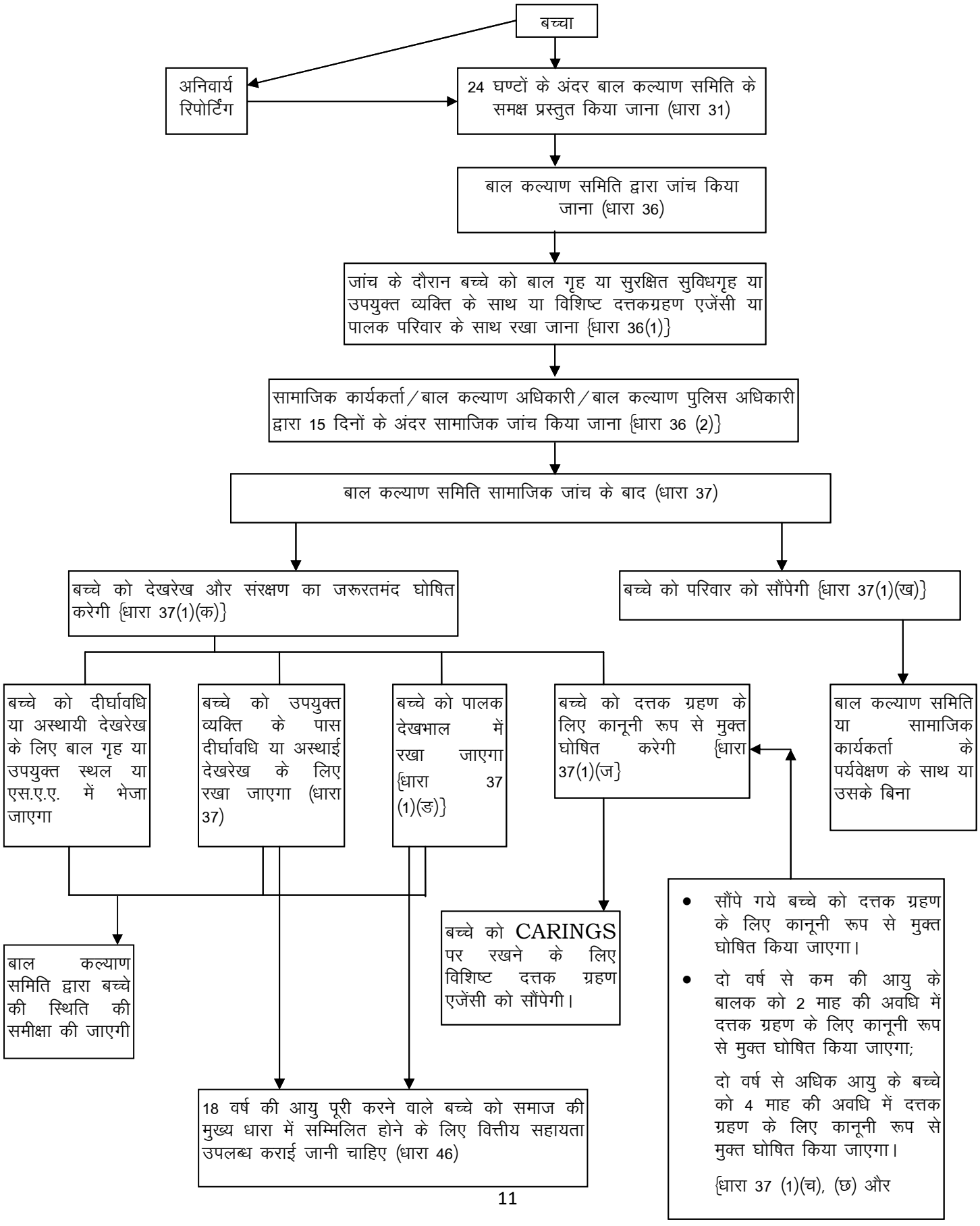

चित्र 1.2 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत विधि के विरुद्ध पाए गए बच्चे के साथ बर्ताव करने की प्रक्रिया

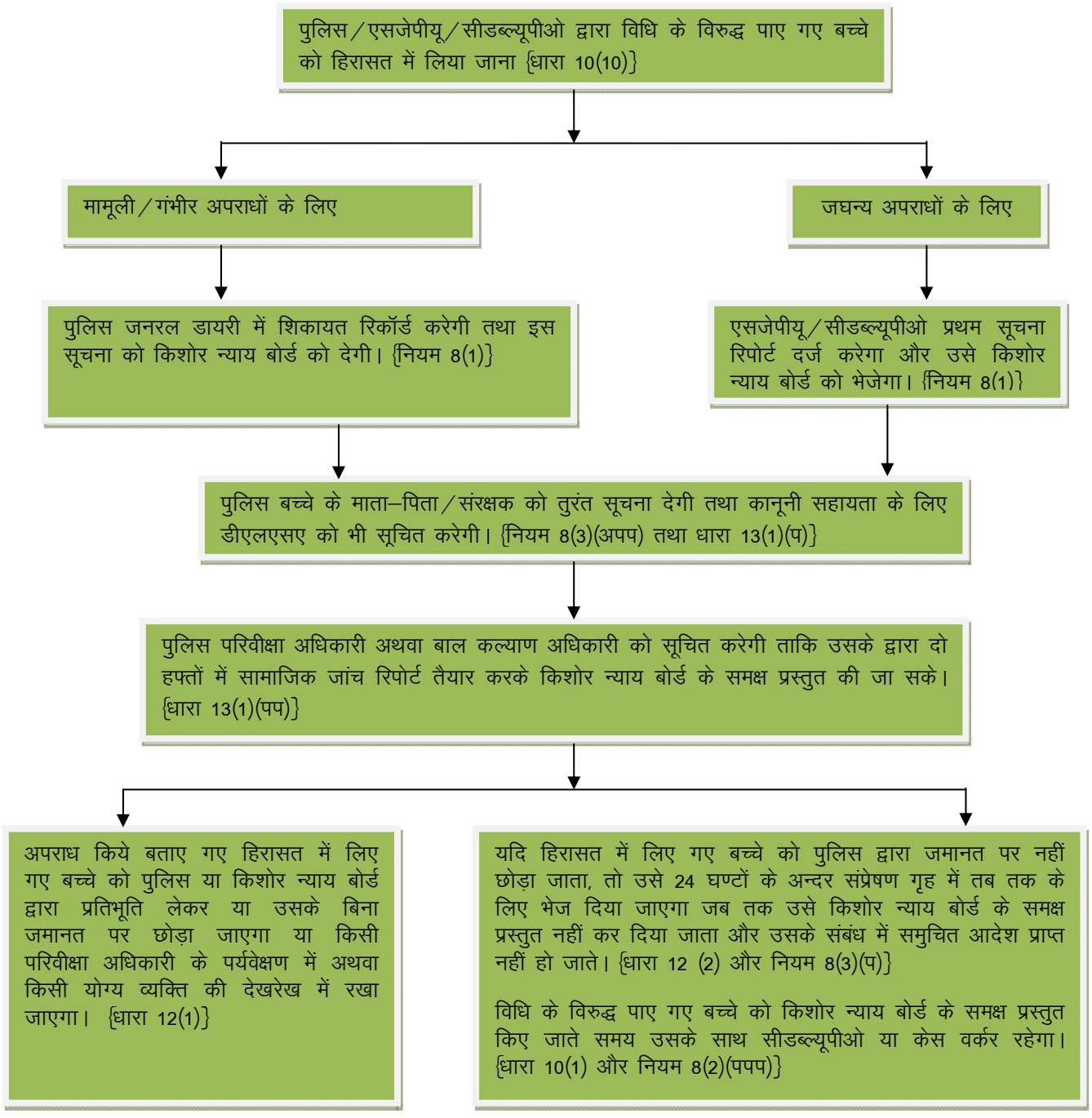

तालिका 1.2 विधि के विरुद्ध पाए गए बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

ये करें (धारा 10 और नियम 8)	ये न करें (धारा 10 और नियम 8)
• बच्चे को बालोनुकूल स्थान/कक्ष में ले जाएं। • बच्चे को 24 घण्टे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। • बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादा कपड़ों में रहे न कि पुलिस वर्दी में। • बच्चे पर किसी भी तरह की जबरदस्ती या दबाव बनाना प्रतिबंधित है। • बच्चे पर लगे आरोप उसे उसके माता–पिता या संरक्षक के माध्यम से तुरंत और प्रत्यक्षतः बता दिये जाएं। • प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बच्चे को और पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता–पिता या संरक्षक को दी जानी चाहिए। • बच्चे को आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सहायता, दुभाषिये की सहायता या कोई अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। • बच्चे को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाए।	• विधि के विरुद्ध पाए गए बच्चे के खिलाफ तब तक कोई एफआईआर दर्ज न करें जब तक उसने कोई जघन्य अपराध न किया हो या किसी वयस्क के साथ मिलकर कोई अपराध न किया हो। • बच्चे को पुलिस स्टेशन या हवालात या वयस्कों के कारागार में नहीं रखा जाएगा। • बच्चे को हथकड़ी/जंजीर/बेड़ी नहीं लगाई जाएंगी। • बच्चे को किसी बयान पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जाएगा। • बच्चे को उसका अपराध स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। • विधि के विरुद्ध पाए गए बच्चे के मामले की सुनवाई किसी वयस्क व्यक्ति के मामले की सुनवाई के साथ संयुक्त रूप से नहीं होगी। (धारा 23)

केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए)

केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) किशोर न्याय अधिनियम, 2013 की धारा 68 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। यह भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण के

मामलों में नोडल निकाय के तौर पर कार्य करता है और इसे दत्तकग्रहण के देशी–विदेशी मामलों में निगरानी तथा नियंत्रण करने का अधिदेश प्राप्त है। कारा को अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण के हेग समझौते, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में संशोधित किया गया है, अन्तरर्देशीय दत्तकग्रहण के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए नामित किया गया है। कारा मुख्य रूप से अपनी सहायक/मान्यताप्राप्त दत्तकग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, छोड़े गए या समर्पित बच्चों के दत्तकग्रहण का कार्य करता है।

ग) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012

पॉक्सो अधिनियम, 2012 के माध्यम से लैंगिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण करने वाले कानूनी प्रावधानों को सशक्त बनाया गया है। बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार के विषयों पर कार्रवाई करने के लिए पहली बार कोई विशेष कानून पारित किया गया। लैंगिक अपराधों को भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कवर किया गया है। किन्तु भारतीय दण्ड संहिता बच्चों के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के लैंगिक अपराधों के लिए दाण्डिक प्रावधान नहीं करती है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून किसी वयस्क और बाल पीड़ित में कोई भेद नहीं करता।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम की आयु के सभी व्यक्तियों को बालक की श्रेणी में रखा गया है और इसमें 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को लैंगिक प्रहार, लैंगिक उत्पीड़न और पॉर्नोग्राफी के अपराधों से संरक्षण प्रदान किया गया है।

इस अधिनियम में बच्चों के विरुद्ध पांच तरह के लैंगिक अपराधों को चिन्हित किया गया है–प्रवेशन लैंगिक प्रहार, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक प्रहार, लैंगिक प्रहार, गुरुतर लैंगिक प्रहार, लैंगिक उत्पीड़न तथा पॉर्नोग्राफी के प्रयोजन के लिए बच्चों का उपयोग। ये अपराध जेन्डर न्यूट्रल होते हैं और बच्चे उत्पीड़क व उत्पीड़ित, दोनो रुपों में हो सकते हैं। अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के तौर पर इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई करने के लिए नामित करना होता है। किन्तु यदि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी बाल न्यायालय को अथवा इसी प्रयोजनार्थ किसी विशेष न्यायालय को जिले में अधिसूचित किया गया है, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत मामलों की सुनवाई उक्त न्यायालय द्वारा ही की जाएगी।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 44 और पॉक्सो नियम, 2012 के नियम 6 के अन्तर्गत राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निम्नानुसार भी सशक्त बनाया गया है :

क) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की मॉनीटरी करना;

ख) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों को नामित किये जाने के कार्य की मॉनीटरी करना;

ग) राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति किये जाने की मॉनीटरी करना;

घ) राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 39 में निर्धारित दिशानिर्देशों की रचना कार्य की मॉनीटरी करना। ये दिशानिर्देश गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों तथा विशेषज्ञों अथवा मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास का ज्ञान रखने वाले व्यक्यिों के उपयोग से संबंधित हैं जिनका सहयोग बच्चे को उसके मामले की सुनवाई से पूर्व तथा सुनवाई के दौरान उसे सहायता प्रदान करने के लिए लिया जाना होता है। आयोग इन दिशानिर्देशों को लागू किये जाने की भी मॉनीटरी करता है;

ङ) पुलिस कार्मिकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों, जिनमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल हैं, को प्रशिक्षण दिये जाने के मॉड्यूल के डिजाइनिंग कार्य की और उसे कार्यान्वित किये जाने की मॉनीटरी करना जिससे उक्त कार्मिक अधिनियम के अन्तर्गत अपने दायित्व का निर्वाह और बेहतर ढंग से कर सकें;

च) मीडिया के माध्यमों से अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारों की समय–समय पर मॉनीटरी करना व उनकी सहायता करना जिससे आमजन, बच्चे तथा उनके माता–पिता और अभिभावक भी अधिनियम के प्रावधानों से अवगत हो सकें। इन माध्यमों में टेलीविजन, रेडियो तथा प्रिंट मीडिया शामिल है;

छ) बाल कल्याण समिति के न्यायाधिकार मे आने वाले किसी बाल यौन दुर्व्यवहार के किसी विशिष्ट मामले में रिपोर्ट की मांग करना;

ज) अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार यौन दुर्व्यवहार के रिपोर्ट हुए मामलों और उनके निपटारें के संबंध में स्वयं अथवा सुसंगत एजेंसियों से जानकारी और आंकड़े एकत्र करना; इन जानकारियों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं –

i. अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या और ब्यौरे;
ii. क्या अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया जिसमें टाइमफ्रेम से संबंधित प्रक्रिया भी शामिल है;
iii. अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों से पीड़ित हुए व्यक्तियों की देखरेख और संरक्षण के लिए इंतजामों के ब्यौरे जिसमें आपात चिकित्सा और चिकित्सा परीक्षी भी शामिल है; और
iv. किसी भी विशिष्ट मामले में संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता के निर्धारण से संबंधित ब्यौरे।

झ) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का निर्धारण तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अपने वार्षिक प्रतिवेदन में एक पृथक अध्याय में एक रिपोर्ट जोड़ना।

तालिका 1.3 पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रमुख प्राधिकरण

पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई	• सूचना रिकॉर्ड करना • प्रारंभिक मूल्यांकन • 24 घण्टों में मामला दर्ज करना • यदि आवश्यक हो तो 24 घण्टों में बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करना • बच्चे की चिकित्सकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखना • माता–पिता/संरक्षक को सूचना देते रहना
बाल कल्याण समिति	• यदि आवश्यक हो तो बच्चे का प्लेसमेण्ट करना • सहायक व्यक्ति उपलब्ध करवाना
जिला बाल संरक्षण इकाई	• रजिस्टर रखना और अधिकारियों को उपलब्ध करवाना • दुभाषियों/अनुवादकों की सेवाओं के लिए भुगतान करना
मजिस्ट्रेट	• बयान रिकॉर्ड करना
विशेष न्यायालय/न्यायाधीश	• कैमरे के सामने सुनवाई करना • बालानुकूल वातावरण सुनिश्चित करना • बच्चे की गरिमा का सम्मान करना • बच्चे की गोपनीयता बरकरार रखना • 30 दिनों के अन्दर बच्चे का बयान रिकॉर्ड करना • एक वर्ष के अन्दर मामले की सुनवाई

	पूरी करना
विशेष लोक अभियोजक	• केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों का अभियोजन करना
सहायक व्यक्ति	• गोपनीयता बरकरार रखना • माता–पिता/संरक्षक को जानकारी देते रहना • न्यायिक प्रक्रिया में बच्चे को उसकी भूमिका की जानकारी देना
केन्द्र सरकार	• अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करना • अधिकारियों को प्रशिक्षण देना • नियमों और दिशानिर्देशों की रचना करना • अधिनियम के प्रारंभ अर्थात 13 नवम्बर, 2014 से लेकर दो वर्ष की अवधि तक ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए आदेश पारित करना जो अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के दौरान सामने आई हों
राज्य सरकार	• किसी न्यायालय को विशेष न्यायालय के तौर पर नामित करना • विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करना • अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करना • अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाना

	• नियमों और कानूनों की रचना करना
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	• अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरी करना • विशिष्ट मामलों में बाल कल्याण समिति से रिपोर्टें मांगना • अपने वार्षिक प्रतिवेदन में एक पृथक अध्याय जोड़कर अधिनियम के कार्यान्वयन पर रिपोर्टिंग करना

रेखा चित्र 1.3 पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रक्रिया

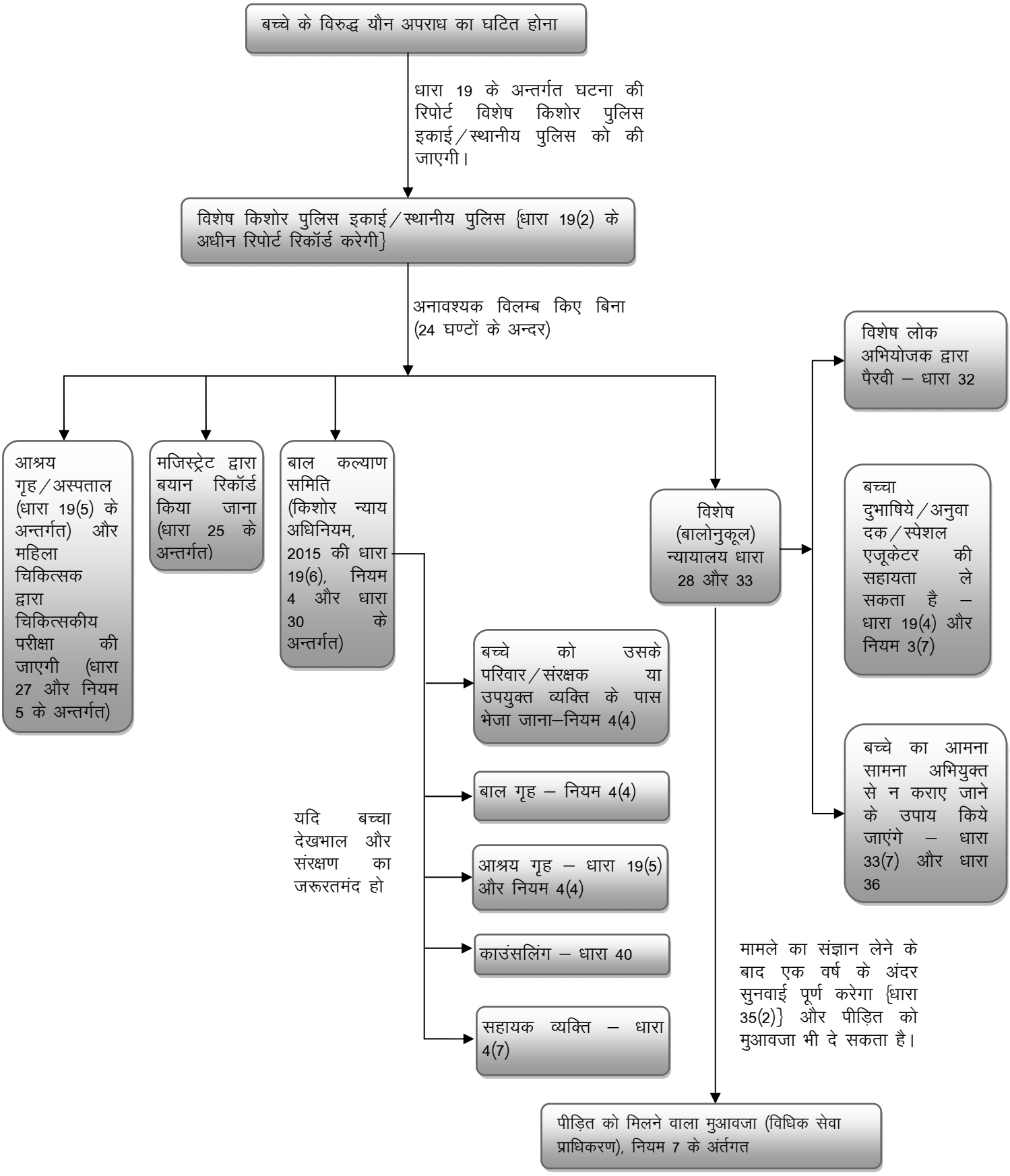

घ) निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम (शिक्षा का अधिकार अधिनियम), 2009

छह से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को एक मूलभूत अधिकार के तौर पर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय संविधान में संविधान (छियासींवा संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21–क जोड़ा गया। बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो अनुच्छेद 21–क के अन्तर्गत उल्लिखित परिणामी कानूनी प्रावधान को प्रतिबिंबित करता है, का अभिप्राय है कि प्रत्येक बच्चे के पास एक ऐसे औपचारिक स्कूल में, जो कतिपय अनिवार्य नियमों और मानदण्डों को पूरा करता हो, संतोषजनक और गुणवत्तापरक पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के नाम में 'निशुल्क और अनिवार्य' शब्द शामिल हैं। 'निशुल्क शिक्षा' का अर्थ है कि किसी भी बच्चे को ऐसे किसी भी प्रकार के शुल्क या प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उसके मार्ग में बाधक बन रहा हो। मगर ऐसे बच्चे इस श्रेणी में नहीं आते जिन्हें उनके माता–पिता ने किसी ऐसे स्कूल में भर्ती कराया है जो समुचित सरकार द्वारा पोषित नहीं है। 'अनिवार्य शिक्षा' शब्द से समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर यह बाध्यता आ जाती है कि वे छह से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना, उनकी उपस्थिति व उनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, हमारा देश भारत अधिकार आधारित फ्रेमवर्क तैयार करने में एक कदम आगे बढ़ गया है जिसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकार पर अनुच्छेद 21क में निर्धारित इस मूलभूत बाल अधिकार को कार्यान्वित करने की शिक्षा अधिनियम के अनुसार कानूनी बाध्यता बन जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं :

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत सरकार को तीन वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों को प्री–स्कूल शिक्षा निशुल्क उपलब्ध कराने के आवश्यक इंतजाम करने की अधिकारिता है जिससे वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।

धारा 17 स्कूलों और संस्थानों में शारीरिक दण्ड से बच्चों को संरक्षण दिये जाने का प्रावधान करती है।

धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत सभी निजी गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में समाज के कमजोर और सुविधाहीन वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत निशुल्क सीटें आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शिकायत निवारण व्यवस्था की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जिसमें स्थानीय प्राधिकरण और अर्ध न्यायिक निकाय/मानवाधिकार

संस्थान शामिल हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन के कार्य में मीडिया भी एक सशक्त साझेदर है जो प्रावधानों के सही प्रकार से लागू होने को सुनिश्चित करती है।

धारा 31 शिक्षा प्राप्त करने के बच्चे के अधिकार की मॉनीटरी करने का प्रावधान करती है :

(1) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करेगा, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ख) निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार संबंधी शिकायतों की जांच करना; और

(ग) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक उपाय करना।

(2) उक्त आयोगों को उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करत समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमशः धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें प्रदान की गईं हैं।

(3) जहां किसी राज्य में, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है वहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट कार्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसे रीति में और ऐसे बंधनों और शर्तों के अनुसार, जो विहित की जाएं, ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकती है।

धारा 32 शिकायतों के निवारण का प्रावधान करती है :

(1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बच्चे के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिताप्राप्त स्थानीय प्राधिकरण को लिखित शिकायत कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के बाद, स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद, मामले का तीन महीने की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन बताए गए प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील का निर्णय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित, यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन बताए गए प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

तालिका 1.4 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्राधिकरण

	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्राधिकरण	**संबंधित धारा/धाराएं**
केन्द्र सरकार	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	धारा 6,7,8,11,35
राज्य सरकार	राज्य शिक्षा विभाग	धारा 6,7,9,11,35
स्थानीय प्राधिकरण	नगर निगम या नगरपालिका या जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत या ऐसा कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय जिसका स्कूल पर प्रशासनिक नियंत्रण हो	धारा 2(ज)
मॉनीटरी प्राधिकरण	एनसीपीसीआर/एससीपीसीआर	धारा 31 और 32
विद्यालय प्रबंधन समिति	सरकारी, सरकारी सहायताप्राप्त तथा विशिष्ट वर्ग के स्कूलों को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना होगा (निजी स्कूलों को इसमें छूट प्राप्त है)	धारा 21 और नियम 3 व 4
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री–पदेन अध्यक्ष और 14 अन्य सदस्य	धारा 33 और नियम 29 और 30
राज्य सलाहकार परिषद	राज्य के शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री तथा 14 अन्य सदस्य	धारा 34 और नियम 31

शैक्षिक प्राधिकरण	एनसीईआरटी और एनसीटीई (अधिसूचना दिनांक 5.4.2010)	धारा 29(1)

ङ) बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 (01.09.2016 से यथा संशोधित)

जुलाई, 2016 में संसद में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया गया और बाल श्रम के अन्तर्गत उसके स्कोप को बढ़ाते हुए इसके उपबन्धों के उल्लंघन पर कठोरतर दण्ड का प्रावधान किया गया। बाद में, वर्ष 2017 के दौरान इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी उपबंधों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषध एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया।

यह अधिनियम सभी प्रकार के व्यवसायों में बच्चों द्वारा कार्य किये जाने पर प्रतिबंध लगाता है। किन्तु कोई पारिवारिक प्रतिष्ठान/व्यवसाय में काम करने या ऑडियो–विडियो मनोरंजन उद्योग में कलाकार के तौर पर काम करने पर प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियुक्त करना भी प्रतिबंधित है। अधिनियम में बच्चों से काम करवाने पर लगने वाले जुर्माना राशियां भी बढ़ाई गईं हैं तथा इसमें बाल श्रम को संज्ञेय अपराध माना गया है।

अधिक जानकारी के लिए http://lawmin.nic.in/ld/P-ACT/1986/A1986-61A.pdf पर जाएं।

च) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929 को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 से बदला गया। इस नये अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं :

- यदि विवाह के समय पक्षकार कोई बच्चा है तो प्रत्येक बाल विवाह को शून्य ही माना जाएगा।
- न्यायालय विवाह को अमान्य घोषित किये जाने की डिक्री पारित करते समय पक्षकारों, माता–पिता और संरक्षकों को प्राप्त किये गये धन, मूल्यवान वस्तुएं, गहने व अन्य उपहार लौटाने का निर्देश देते हुए एक आदेश भी पारित करेगा।
- न्यायालय पुरुष पक्षकार अथवा माता–पिता या संरक्षक को यह आदेश भी दे सकता है कि वह महिला पक्षकार को विवाह में हुए व्यय के लिए और उसके आवास के लिए तथा उसके पुनर्विवाह तक मुआवजा दे।

- बाल विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों की अभिरक्षा और भरण–पोषण के लिए न्यायालय समुचित आदेश पारित कर सकता है।
- इस बात के होते हुए भी कि बाल विवाह शून्य माना गया है, ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए प्रत्येक बच्चे को सभी प्रयोजनों के लिए वैध बच्चा माना जाएगा।
- ऐसी परिस्थितियों में भी बाल विवाह को शून्य माना जाता है जब किसी अल्पवयस्क को विवाह के प्रयोजन के लिए बेचा जा रहा हो, या किसी अनैतिक प्रयोजन के लिए बच्चे को विवाह के बाद बेचा जा रहा हो या उसकी तस्करी की जा रही हो या इस्तेमाल किया जा रहा हो।
- बच्चे का विवाह करा रहे वयस्क पुरुष तथा विवाह करवा रहे, विवाह के लिए उकसा रहे, प्रोत्साहित कर रहे, या विवाह में शामिल हो रहे व्यक्तियों को दिये जाने वाले दण्ड में भी वृद्धि की गई और ऐसे व्यक्ति को दो वर्ष तक के कारावास तथा एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- राज्यों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जिन्हें बाल विवाह की घटनाओं को रोकने, मजबूती से मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य एकत्र करने, समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को बाल विवाह के प्रति संवेदनशील बनाने के का कार्य सौंपा जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए http://ncw.nic.in/acts/pcma2006.pdf पर जाएं।

छ) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

यह अधिनियम संसद द्वारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रतिरोध घोषणा, 1950 के अनुपालन में पारित किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य व्यापार प्रयोजन के लिए की जाने वाले तस्करी और यौन उत्पीड़न का मुकाबला करना था। इस अधिनियम के कई प्रावधान बच्चों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। ये प्रावधान निम्नानुसार है :

धारा 4 : वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीविकोपार्जन पर दण्ड।

धारा 5 : वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्तियों की खरीद, उन्हें प्रेरित करना और ले जाना।

धारा 6 : किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में रखना जहां वेश्यावृत्ति की जाती हो।

धारा 7 : सार्वजनिक स्थल पर या उसके आस–पास के क्षेत्र में वेश्यावृत्ति करना।

धारा 17 : धारा 15 के अन्तर्गत हटाए गए या धारा 16 के बचाए गए व्यक्तियों की मध्यवर्ती अभिरक्षा।

धारा 18 : वेश्यालय बंद किया जाना और अपराधियों का परिसर से बाहर निकाला जाना।

ज) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

भारतीय दण्ड संहिता को वर्ष 1860 में तैयार किया गया था और यह भारत की मुख्य एवं व्यापक दण्ड संहिता है जिसके अन्तर्गत दाण्डिक कानूनों के सभी प्रमुख पहलू समाहित है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228–क के अन्तर्गत कतिपय अपराधों में पीड़ित रहे व्यक्ति की पहचान प्रकट करने को अपराध मानते हुए दो वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228–क और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327(3) दोनों ही किसी बच्चे के साथ हुए यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में हो रही न्यायालय की कार्रवाई के प्रकाशन पर समान प्रतिबंध लगाती हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228–क पहचान उजागर करने के संबंध में यह अपवाद भी रखती है कि 'यदि मृतक की मृत्यु हो चुकी हो, या व अल्पवयस्क हो या विक्षिप्त बुद्धि का हो, तो पीड़ित के निकटमत रिश्तेदार की लिखित स्वीकृति से पहचान जाहिर' की जा सकती है।

साक्षी बनाम भारत संघ के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने ऐसे निर्देश पारित किये जिनका अनुपालन बाल यौन दुर्व्यवहार या बलात्कार के मामले में सुनवाई करते समय अनिवार्य तौर पर किया जाना है। ये निर्देश निम्नानुसार हैं :

- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किये जाएंगे, जैसे पर्दा इत्यादि लगाया जाएगा कि पीड़ित या गवाह अभियुक्त का शरीर या चेहरा न देख सके।
- बहस के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार करके न्यायालय के परिवीक्षा अधिकारी को सौंपा जाएगा जो उन्हें पीड़ित या साक्षी के समक्ष उस भाषा में प्रस्तुत करेगा जो वे समझते हों और भाषा परेशान करने वाली नहीं होगी।
- न्यायालय में अपना साक्ष्य देते समय बाल दुर्व्यवहार या बलात्कार के पीड़ित बच्चे को पर्याप्त संख्या में विराम दिये जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए, देखें

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली

झ) अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956

यह अधिनियम ऐसे हानिकर प्रकाशनों का किसी पुस्तक, पत्रिका, पैम्फलेट, लीफलैट, समाचार–पत्र या अन्य प्रकाशन के रूप में प्रचार–प्रसार किये जाने को प्रतिबंधित करता है

जिनमें अपराध (अल्पवयस्कों द्वारा हिंसात्मक कार्य, क्रूरता किया जाना) किये जाने को प्रेरणा देने वाली कथाएं समाहित हों।

ञ) गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम और नियम , 1994

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाता है जिनका प्रयोग करके आनुवांशिक तथा मेटाबॉली (चयापचयी) विंसगतियों, गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं या कतिपय जन्मजात विकृतियों या सेक्स आधारित कमियों का पता लगाया जाता है। यह अधिनियम प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण (कन्याभ्रूण होने की स्थिति में) करने और इससे संबंधित मामलों में ऐसी तकनीक का दुरुपयोग किये जाने को भी प्रतिबंधित करता है।

अधिक जानकारी के लिए http://www.ncpcr.gov.in/view_file.php/fid=434 पर विजिट करें।

ट) शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण) अधिनियम, 1992

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण) अधिनियम, 1992 और वर्ष 1993 में खाद्य सुरक्षा और मानदण्ड अधिनियम, 2006 द्वारा उसमें किये गये संशोधनों के अन्तर्गत शिशु भोजन के अनुकल्प अर्थात सब्सीट्यूट, दूध, दूध की बोतलों के निर्माण, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाता है। इसके पीछे स्तनपान को संरक्षण और प्रोत्साहन देने और शिशु–भोजन का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

यह अधिनियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति आम लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए ऐसा दुष्प्रचार नहीं करेगा कि शिशु–भोजन, दूध की बोतलें और शिशु दूध के सब्सीट्यूट (विकल्प) मां के दूध का स्वीकार्य विकल्प हैं। कोई व्यक्ति शिशु–भोजन, दूध की बोतलें या शिशु दूध के सब्सीट्यूट का वितरण नहीं कर सकता, या शिशु–भोजन, दूध की बोतल या शिशु–दूध के सब्सीट्यूट बेचने या प्रमोट करने का प्रयास करते हुए किसी गर्भवती महिला अथवा किसी शिशु की माता से संपर्क नहीं कर सकता या उसे प्रेरित नहीं कर सकता।

सभी बिक्री योग्य उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अथवा भारतीय मानक ब्यूरो के मापदण्डों के अनुसार होने चाहिए तथा ऐसे किसी मापदण्ड की अनुपस्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होने चाहिए।

1.4 भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीतियां

भारतीय संविधान में दिये गये मूल अधिकार और नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में बाल अधिकारों के लिए एक रूपरेखा बनाने का प्रावधान समाविष्ट है। बाल अधिकारों के लिए प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करने के लिए कई राष्ट्रीय नीतियों की रचना की गई। बाल अधिकार लागू किये जाने और उनकी स्थिति में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए देश में बनाई गई प्रमुख नीतियों में निम्नलिखित नीतियां शामिल हैं :

क) राष्ट्रीय बाल नीति, 2013

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 भारत के क्षेत्र और न्यायाधिकार में आने वाले सभी बच्चों की रक्षा करने, उन्हें प्रत्येक आवश्यक जानकारी देने, उनका समावेशन करने, उन्हें सहायता देने तथा उन्हें सशक्त बनाने के देश के संकल्प को दुहराती है। देश विधायी, नीतिगत और अन्यथा भी सकारात्मक उपाय करने के लिए संकल्पबद्ध है जिससे सभी बच्चों के समानता, गरिमा,सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ रहने और बढ़ने के अधिकार की रक्षा और बढ़ोतरी की जा सके, विशेषतः अधिकारहीन और सुविधाहीन बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो पाए। साथ ही, यह सनिश्चित हो कि सभी बच्चों को बराबर अवसर मिलेंगे, और कि किसी प्रथा, परम्परा या धार्मिक कार्य को बच्चों को उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।

इस नीति में चार क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है : जीवन, स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा एवं विकास; संरक्षण और सहभागिता।

अधिक जानकारी के लिए http://wcd.nic.in/sites/default/files /npcengilsh08072013_pdf पर जाएं।

ख) राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 ने वर्ष 2005 में अपनाई गई कार्य योजना का स्थान लिया। इस कार्य योजना के अन्तर्गत भारत में बच्चों की प्रचलित प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया है। यह कार्य योजना बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय संवैधानिक और नीतिगत प्रतिबद्धता एवं संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन और निगरानी को और मजबूती एवं गति प्रदान करती हैं।

राष्ट्रीय बाल योजना, 2013 की सहायता से, यह कार्ययोजना देश पर होने वाले इस दायित्व की पुष्टि करती है कि उसे सभी बच्चों के लिए उनके जन्म से पूर्व और जन्म के दौरान और उनके विकास के पूरी अवधि के दौरान उन्हें उच्चतम स्तर की व्यापक और अनिवार्य, निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास हैल्थ केयर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इन योजना में बच्चों को सहयोग देने और उनके जीवन, कल्याण, संरक्षण और विकास के लिए समाज और परिवार की क्षमता को बढ़ाने के महत्त्व पर भी

ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 का ध्यान 'सर्वप्रथम सर्वाधिक जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचने का है।

अधिक जानकारी के लिए, http://wcd.nic.in/sites/default/files/national%20Plan%20of%20Action_0 पर जाएं।

ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया। यह देश में शिक्षा के विकास को दिशा देने की एक व्यापक रूपरेखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में समाविष्ट सिद्धान्तों को कुछ संशोधनों के साथ नई नीति में भी शामिल किया गया।

बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं :

प्राइमरी स्तर तक बच्चों को स्कूल में बने रहने पर जोर। बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारणों पर योजना बनाकर काम किया जाना चाहिए। गैर औपचारिक शिक्षा का नेटवर्क प्रारम्भ किया जाना चाहिए और 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

पिछड़े वर्ग के, दिव्यांगता से प्रभावित और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों पर उनके विकास के लिए अधिक ध्यान दिया जाए।

बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर्स, पुस्तकालय जैसे संसाधनों के लिए प्रावधान रखा जाए। विद्यार्थियों खासतौर से छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों के पास अध्यापन, अध्ययन व अनुसंधान का अधिकार होना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf पर जाएं।

घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को मूलतः संसद द्वारा 1983 में पारित की गई और उसे वर्ष 2002 में नया रूप दिया गया। साथ ही, समय के साथ इस नीति के संदर्भ में कई माध्यमों से बदलाव हुए और इसलिए एक नई स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता हुई जो इन परिवर्तनों के अनुरूप हो। अतः वर्ष 2002 की स्वास्थ्य नीति के बाद हुई प्रगति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 बनाई गई और देश में लागू की गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली के सभी आयामों में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करना, सशक्त बनाना व उसे प्राथमिकता देना है। इन आयामों में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना, हैल्थकेयर सेवाओं का आयोजन करना, प्रतिकूल खंडीय कार्यों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को प्रेरित करना, तकनीकों

तक पहुंच बनाना, मानव संसाधन को विकसित करना, चिकित्सकीय अनेकताओं को प्रेरित करना, नॉलेज बेस तैयार करना, बेहतर वित्तीय संरक्षण नीतियों को तैयार करना, नियमों और स्वास्थ्य सुनिश्चितता को सशक्त बनाना शामिल है।

इस नीति का लक्ष्य हर प्रकार के आयु वर्ग में सभी लोगों को सर्वोच्च संभव स्तर का स्वास्थ्य व कल्याण उपलब्ध कराना है। यह कार्य सभी विकासात्मक नीतियों में एक सुरक्षात्मक और प्रोत्साहक हैल्थ केयर ओरिएंटेशन के जरिये और ऐसी सर्वोत्तम गुणवत्तायुक्त हैल्थ केयर सेवाओं तक सबकी पहुंच के माध्यम से पूरा होगा जिसके लिए किसी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह लक्ष्य तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब हैल्थकेयर सेवाओं तक सबकी पहुंच बढ़े, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और उनकी लागत में कमी आए।

अधिक जानकारी के लिए http://www.nhp.gov.in/NHPfiles/national_health_policy_2017.pdf पर जाएं।

ङ) राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993

वर्ष 1993 में कुपोषण और अल्प पोषण की समस्या के निदान के लिए पहले से ही कई सारी योजनाएं विद्यमान थीं जैसे समेकित बाल विकास सेवाएं, विशेष पोषण कार्यक्रम और गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम इत्यादि। राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 में सभी लोगों के लिए समुचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की गई है।

किशोरवय की कन्याओं और गर्भवती महिलाओं को इन पोषण कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र में शामिल किये जाने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पोषण की कमी से बचाया जाना चाहिए, गरीब परिवारों के लिए कम लागत का पोषणयुक्त खाद्य तैयार किया जाना चाहिए और सभी लोगों में, विशेषकर महिलाओं, गर्भवती और हाल ही में मां बनीं महिलाओं तथा बच्चों की पोषण संबंधी कमियों को दूर किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए http://wcd.nic.in/sites/default/files/nnp_0_pdf पर जाएं।

च) राष्ट्रीय बालश्रम नीति, 1987

भारत में वर्ष 1987 में एक राष्ट्रीय बालश्रम नीति की रचना की गई। यह नीति खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर फोकस करते हुए नियमित और क्रमबद्ध एप्रोच अपनाने पर जोर देती है। इसके अन्तर्गत बाल श्रम पर भारतीय कानूनों के कड़े अमल की कल्पना की गई है और बाल श्रम के मूल कारणों जैसे गरीबी को दूर करने के लिए विकास कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही गई है। वर्ष 1988 में इसकी वजह से

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की पहल की गई यह कानूनी और विकासात्मक पहल अभी भी जारी है और केन्द्र सरकार द्वारा इसे आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसका लक्ष्य भारत में बाल श्रम को समाप्त करना है। मगर इन प्रयासों के बाद भी बाल श्रम अभी भी देश के सामने एक बड़ी चुनौती है।

अधिक जानकारी के लिए http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lid=129 पर जाएं।

छ) राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा नीति, 2013

भारत सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा नीति को मंजूरी दी। इस नीति की रूपरेखा में राष्ट्रीय करीकुलम फ्रेमवर्क और गुणवत्ता मानक भी शामिल है। यह नीति 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का ध्यान रखती है और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच बनाने के लिए समर्पित रहती है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, भारत में 6 वर्ष तक की आयु के 158.7 मिलियिन बच्चे हैं जो इन्हें राष्ट्रीय नीति से लाभ मिला है। इस नीति के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है।

अधिक जानकारी के लिए http://icds-wcd.nic.in/schemes/ECCE/ecce_01102013_eng.pdf पर जाएं।

1.5 भारत में बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाएं।

भारत सरकार के मंत्रालयों ने समय समय पर कई उपयोगी योजनाएं तैयार की हैं। ये योजनाएं केन्द्रीय, या राज्य विशेष या केन्द्र और राज्य का संयुक्त उपक्रम हो सकती हैं। इन योजना को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है :

तालिका सं. 1.5 : भारत में बच्चों से संबंधित कार्यक्रम और योजनाएं

योजना	मंत्रालय	लाभार्थी	आयु
समेकित बाल विकास सेवाएं	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	बच्चे (6 वर्ष तक के), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं	0–6 वर्ष
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	शिशु	जन्म से लेकर 30 दिनों तक
मा (मदर्स एब्सॉल्यूट	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	बच्चे	0–2 वर्ष

अफैक्शन) स्तनपान को प्रोत्साहित करने हेतु	मंत्रालय		
मिशन इन्द्रधनुष	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	बच्चे	2 वर्ष से कम
सर्व टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं	16 वर्ष तक
सुकन्या समृद्धि योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	बालिकाएं	10 वर्ष तक
बालिका समृद्धि योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	बालिकाएं	0–18 वर्ष तक
कन्डीशनल कैश ट्रांसफर (सीसीटी) कार्यक्रम (धनलक्ष्मी, लाडली, आबाद, इत्यादि)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	बालिकाएं	0–18 वर्ष तक
प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 3–6 वर्ष के आयुसमूह के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	प्रारंभिक शिक्षा करने वाले स्कूली बच्चे	3–6 वर्ष तक
कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पालना गृह योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	गरीब कामकाजी महिलाओं के बच्चे (6 वर्ष तक की आयु के बच्चे)	6 माह से लेकर 6 वर्ष तक

राष्ट्रीय पालना गृह निधि	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	बच्चे	0–5 वर्ष
शिशु गृह योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	निराश्रित बच्चे	0–6 वर्ष
गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी. एन.पी.)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	ऐसे बच्चे जो अभी स्कूल जाने योग्य बड़े नहीं हुए, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं	0–6 वर्ष
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य नीति	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	किशोर	10–19 वर्ष
किशोरी पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	किशोरियां	11–19 वर्ष
किशोरी शक्ति योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	किशोरियां	11–18 वर्ष
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	किशोर	10–19 वर्ष
मिड डे मील कार्यक्रम	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूली बच्चे	कक्षा प्रथम से आठवीं
सैकण्डरी स्तर पर बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	बालिकाएं	14–18 वर्ष
किशोर शिक्षा कार्यक्रम	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	किशोरियां	10–19 वर्ष
सक्षम या राजीव गांधी किशोर	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	किशोर–किशोरियां	11–18 वर्ष

सशक्तिकरण योजना			उपविभाजन 11–14 वर्ष 15–18 वर्ष
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	बाल श्रम	5–8 वर्ष 9–14 वर्ष
देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सड़क परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे	18 वर्ष तक
समेकित बाल संरक्षण योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	किशोर न्याय अधिनियम में यथा परिभाषित देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे और विधिविरुद्ध पाए गए बच्चे तथा विधि के संपर्क में आने वाले बच्चे, चाहे वे पीड़ित या साक्षी के रूप में या किसी अन्य परिस्थिति में आए हों।	0–18 वर्ष
गंतव्य क्षेत्रों में व्यापारिक यौन उत्पीड़न के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी का सामना करने के लिए पाइलट	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	बालिकाएं और महिलाएं	बच्ची से लेकर 18 वर्ष तक

परियोजना			
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	बालिकाएं	18 वर्ष तक
चाइल्डलाइन	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	मुसीबत में होने वाले बच्चों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नं 1098	18 वर्ष तक

भाग 2

मीडिया और बच्चे

2.1 मीडिया में बच्चों से संबंधित मुद्दे

मास मीडिया, चाहे न्यूज हो या मनोरंजन मीडिया (प्रिंट, ब्रॉडकास्ट या इंटरनेट) बाल अधिकारों के मुद्दों पर जन जागरूकता उत्पन्न करने और राय कायम करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण और सशक्त एजेंसी है। साथ ही, यह बच्चों को उनके अधिकारों तक पहुंचने में सक्षम बनाना भी सुनिश्चित करता है। मीडिया सरकार पर भी समाज के इस संकटग्रस्त वर्ग अर्थात बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक दबाव डालता रहता है। मीडिया में बच्चों और उनके मुद्दों का प्रदर्शन करने से बच्चों की वास्तविकता सामने आ जाती है।

किन्तु बच्चों से संबंधित मामलों में सटीक, संतुलित और संवेदनशील कवरेज में कमी के कारण न्यूज मीडिया की अक्सर आलोचना की जाती है। शोध अध्ययनों से यह पता चला है कि बाल अधिकारों के मुद्दों पर न्यूज मीडिया की अधिकतर कवरेज घटना–संबंधी और एपिसोडिक होती हैं जिसमें कुपोषण, बाल श्रम, बाल विवाह, शिक्षा तक पहुंच, आईएमआर, एमएमआर के उच्च स्तर, बच्चों के अधिकार और बच्चों के विरुद्ध हिंसा जैसे गंभीर चिंताजनक विषयों पर बहुत ही संक्षिप्त चर्चा हो पाती है। यहां तक कि धारावाहिकों, रियल्टी शो और टेलेंट शो तक में, बच्चों का इस्तेमाल उनकी सुंदरता और अतिसंवेदनशीलता के कारण किया जाता है। ऐसे टेलीविजन कार्यक्रमों में बच्चों के इस्तेमाल के कारण उनके अधिकारों, बाल श्रम से संबंधित कानूनों के उल्लंघन, रेटिंग बढ़ाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किये जाने की नैतिकता, ऐसे कार्यक्रमों में भूमिका, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे विभिन्न मुद्दे भी उठते रहते हैं। वास्तव में, विशेषकर बच्चों के लिए ही डिजाइन किये गये टीवी शो भी कई बार बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं।

बेबी फलक के मामले में रिपोर्टिंग

जनवरी, 2012 में मारपीट की शिकार बनी एक दो वर्षीय बच्ची को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ट्रॉमा सेन्टर में एक 15 वर्षीय किशोरी ने भर्ती कराया। बाद में यह पता चला कि किशोरी उस नवजात बच्ची की बड़ी बहन है और उसी ने अपनी नवजात बहिन को उसका रोना बंद कराने के लिए बुरी तरह पीटा था। नवजात द्वारा अपना जीवन बचाने के किये गये संघर्ष को देश भर में मीडिया ने कवर किया। किन्तु जिस प्रकार मीडिया ने इन दो बच्चों से संबंधित गोपनीय सूचना और फोटोग्राफ को उजागर कर उनका मूल्यांकन किया, उससे मीडिया कवरेज पर बहुत से सवालिया निशान लग गये। इस मामले ने पहली बार ऐसे मामलों में शामिल बच्चों की सूचना उजागर करने में सभी हिताधिकारियों की भूमिका और दायित्व के बारे में महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठा दिये– चाहे

वह पुलिस हो, चिकित्सक हो, अस्पताल के अधिकारी हों, बाल कल्याण समिति हो, न्यायपालिका हो, सरकारी विभाग हों, सिविल सोसाइटी हो या काउंसलर्स हों। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन ने टीवी कैमरामैन को बेबी फलक का विडियो बनाने देने के लिए आईसीयू में आने की इजाजत दे दी थी।

2.2 मीडिया सामग्री का बच्चों पर प्रभाव

''विश्वभर में साहित्य पर हुए विभिन्न अध्ययनों और समीक्षाओं ने बाल विकास के कई क्षेत्रों में मीडिया की प्रेरक भूमिका को प्रमुखता से प्रदर्शित किया है, चाहे वह उस शैली से संबंधित हो जिसमें बच्चे अपने व्यक्तित्व और सामाजिक स्तर को अनुभव करते हैं, पालक विश्वास और इच्छाओं को समझते हैं, और उपेक्षा, एकाकीपन एवं क्रोध के अहसास को विकसित करते हैं''। उदाहरण के लिए बच्चे ऐसे व्यक्तियों के बर्ताव को सीखते हैं और उसकी नकल करते हैं जिन्हें वे देखते हैं, खासतौर पर तब जब ऐसे व्यक्ति को उसके आक्रामक रवैये का फायदा मिलता दिखाई दे। ऐसे बच्चे जो लगातार अपने पसंदीदा टीवी हीरो को बुरे लोगों की पिटाई करने और मारने पर तारीफ पाते देखते हैं, वे विवाद की स्थिति में अपने बर्ताव में भी आक्रामक कार्य किये जाने शैली को शामिल कर लेते हैं। कुछ समाज वैज्ञानिकों का तो यहां तक कहना है कि टीवी कार्यक्रमों ने बच्चों में आक्रामक रवैये को उकसाया है।

साथ ही, स्वास्थ्य विशेषज्ञ अत्यधिक टीवी देखने की आदत को मोटापे से जोड़कर देखते रहे हैं। जो बच्चे प्रतिदिन चार घंटे से ज्यादा समय टीवी देखने में बिताते हैं उनके ज्यादा वजनी होने की आशंका अधिक रहती है। टीवी देखत समय बच्चे सक्रिय नहीं रहते और कुछ न कुछ खाते–पीते रहते हैं। उन पर ऐसे विज्ञापनों की बौछार भी होती रहती है जो उन्हें अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री जैसे आलू चिप्स या कैलोरी रहित सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।

हमारे देश में बच्चों द्वारा मीडिया देखे जाने के पैटर्न पर गौर करने से पता चलता है कि अपना अधिकांश समय न केवल बच्चों के कार्यक्रम बल्कि धारावाहिक, मूवीज, रियल्टी शो, गीत इत्यादि जैसे अन्य कार्यक्रम देखने में बिताते हैं। टेलीविजन समाजीकरण का एक बड़ा कारक बन चुका है और न केवल भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि पूरे विश्व में बच्चों के जीवन पर इसका दबदबा है।

बच्चों को हिंसक सामग्री का एक बड़ा हिस्सा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेषकर टेलीविजन और विडियो गेम, और अब स्मार्ट फोन्स के जरिये मिलता है। कई बार इन कार्यक्रमों में हिंसा किये जाने को फायदेमंद दिखाया जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक मीडिया हिंसा बच्चों में आक्रामक बर्ताव में बड़ी सहयोगी है। कार्टून्स, फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जो बच्चों के बर्ताव को प्रभावित करते हैं।

इसके विपरीत, मीडिया में बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की भी क्षमता है। हमारे समाज में मीडिया की भूमिका को उपयुक्त बनाने के उपाय खोजे जाने की आवश्यकता है उसके नकारात्मक प्रभाव को यथासंभव घटाते हुए उसकी पहुंच और स्वीकार्यता का फायदा उठाते हुए ऐसा किया जाना चाहिए।

2.3 बाल अधिकारों के संरक्षण में मीडिया की भूमिका

मीडिया पेशेवर (जैसे टीवी और इण्टरनेट के पत्रकार, फोटोग्राफर, टीवी कार्यक्रम निर्माता, कंटेंट राइटर्स) मानवाधिकारों के चैंपियन होते हैं। ये लोग जनता के आंख, कान और जुबान होते हैं और अक्सर बेहद व्यक्तिगत खतरे पर सत्ता और मानवाधिकारों के दुरुपयोग की ओर आमजन का ध्यान खींचते हैं। अपने कामों के जरिये ये सरकारों और सिविल सोसायटी संगठनों को ऐसे बदलाव करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनसे लोगों के जीवन में सुधार हो सके। मीडिया जिस तरीके से बच्चों से संबंधित मामलों को प्रस्तुत करती है, या उनकी उपेक्षा करती है, उससे उन मामलों में लिए जाने वाले निर्णयों पर और समाज के उनके प्रति रवैये पर प्रभाव पड़ सकता है।

वैसे तो अक्सर खबरों का समाज पर असर के बारे में चर्चा चलती रहती है, किन्तु खबरों से हटकर अन्य बातों और विशेषकर तथाकथित 'मनोरंजन' प्रसारण का समाज पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है विशेषकर उसके समाज के मन को छूने के पहलू और तरीके के कारण। वस्तुतः सभी प्रकार के कार्यक्रमों को, चाहे वे विज्ञापन हों, रियल्टी शो हों, टीवी धारावाहिक हों या इण्टरनेट पर मौजूद सामग्री हो, हमारे देश में बच्चों की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि टीवी कार्यक्रम किसी को, विशेषकर असुरक्षित बच्चों को पथभ्रष्ट करने वाले, अपराधों का कारण बनने वाले, और नुकसान के रास्ते पर ले जाने वाले न हों।

मीडिया पेशेवर अक्सर ऐसे बच्चों की दुर्दशा दिखाते रहते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में फंसे हों या जिनका वयस्कों द्वारा उत्पीड़न किया गया हो। किन्तु पारंपरिक न्यूज कवरेज और टीवी धारावाहिक तक में 'बच्चों के नजरिये' का ध्यान रखना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। किसी कानून या नीति में हुए परिवर्तन के प्रभाव की जांच करने का एक अच्छा तरीका यह पता लगाना है कि उसके परिणामस्वरूप बच्चों का क्या भला या बुरा हुआ।

कंटेंट राइटर्स को यह याद रखने की आवश्यकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत बच्चों के मामलों में रिपोर्टिंग करते समय, स्वतंत्रता को सतर्कतापूर्वक शांतचित्त से इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में बच्चे की जिंदगी की डोर है। घटनाओं की कहानियां सूचनात्मक होनी चाहिए न कि सनसनीखेज। मीडिया हमेशा बच्चों को एक महत्त्वपूर्ण विषय समझकर बर्ताव करे और उनकी कोमलता का फायदा कभी न उठाया जाए।

ऐसे मीडिया पेशेवर सचमुच बाल अधिकारों के चैंपियन ही माने जाएंगे जो अपनी रिपोर्टिंग/लेखन/कार्यक्रम के प्रभाव को समझते हैं, बच्चों की कोमलता को सराहते हैं, और ईमानदार एवं सटीक रिपोर्टिंग में विश्वास करते हुए बच्चों के अधिकारों का सम्मान रखते हैं। बच्चों से संबंधित जरुरी सामाजिक–आर्थिक मामलों को उठाने में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे कानून और दिशानिर्देश मौजूद हैं जिन्हें ऐसा कंटेंट विकसित करने में उपयोगी माना जा सकता है जो हमारे देश के बच्चों के लिए संवेदनशील हो। इनका ब्यौरा इस हैंडबुक के अगले खण्ड में दिया गया है।

2.4 अन्य हिताधिकारियों की भूमिका

मीडिया को यह समझने की आवश्यकता है कि अस्पतालों और पुलिस जैसे अन्य हिताधिकारियों पर बाल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व है। सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने व प्रत्येक हिताधिकारी को उत्तरदायी बनाने के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

पुलिस

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विधि के विरुद्ध पाये गये बच्चों के साथ बर्ताव करने के लिए कतिपय विशेष प्रावधान रखे गए हैं जैसे कि :

धार 27 : यदि कोई ऐसा अपराध हुआ हो जो कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दण्डनीय न हो और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसकी आयु न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत किये जाते समय सोलह वर्ष से कम हो, तो उसकी सुनवाई किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्र, या बाल अधिनियम, 1960 अथवा किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए निर्दिष्ट किसी प्रभावी कानून के अन्तर्गत विशेष रूप से सशक्त किसी न्यायालय द्वारा ही की जाएगी।

इस प्रकार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को सदैव समुचित देखभाल ओर संरक्षण प्रदान करे, क्योंकि उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण पर ही राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये बच्चे को जिस पर जमानती या गैर जमानती अपराध करने का आरोप है, प्रतिभूति सहित या उसके बिना जमानत पर छोड़ा जाना होगा। न्यायालय उसे केवल तब नहीं छोड़ेगा, जब उसे छोड़े जाने से उसके किसी कुख्यात अपराधी के चंगुल में फंसने की आशंका हो अथवा किसी नैतिक संकट पर पड़ने का अंदेशा हो। ऐसे बच्चे को रिमांड होम में रखा जाएगा। प्रभारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह बच्चे के माता पिता या अभिभावक को किशोर न्यायालय के समक्ष बच्चे की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की सूचना दे। प्रभारी अधिकारी परिवीक्षा अधिकारी को भी सूचना देगा।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 10 के अनुसार (अध्याय 5 : विधि के विरुद्ध पाए गए बच्चों के संबंध में प्रक्रिया)

(1) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस एकक या अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलंब, किंतु उस स्थान से, जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा।

परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा।

(2) आदर्श किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम) नियम, 2016 के नियम 8(3) के अनुसार :

विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी :

(i) उस बालक को हवालात में नहीं भेजेगा और बालक को नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपने में देरी नहीं करेगा। वह पुलिस अधिकारी पकड़े गए बालक को अधिनियम की धार 12 की उप–धारा (2) की अधीन जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है अर्थात उसको गिरफ्तार किए जाने से चौबीस घंटे और इन नियमों के भीतर, समुचित नियमों के नियम 9 के अनुसार आदेश प्राप्त किए जाने तक किसी संप्रेक्षण गृह में भेज सकता है;

(ii) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी नहीं पहनाएगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगा;

(iii) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता–पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए गए हैं और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाएगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता–पिता या संरक्षण को दी जाएगी;

(iv) बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसकी आवश्यकता बालक को हो;

(v) बालक को अपना अपराध स्वीकार करने लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उससे बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाएगी, जहां बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे प्रतिप्रश्न किए जा रहे हैं। पुलिस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता–पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं।

अस्पताल

क.1. उस अस्पताल या चिकित्सा सुविधा केन्द्र का, जहां बच्चे को उपचार के लिए रैफर/भर्ती किया जाता है या जहां बच्चे की कोई चिकित्सा जांच की जाती है या उसे कोई चिकित्सा सुविधा दी जाती है, यह दायित्व होगा कि बच्चे की पहचान से संबंधित कोई भी ब्यौरा वह मीडिया को तब तक उपलब्ध न होने दे जब तक उसे ऐसे जानकारी सार्वजनिक करने के लिए संबंधित किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आदेश न दिया जाए।

क.2. पूछताछ समिति : प्रत्येक अस्पताल में बच्चों की पहचान की निजता या गोपनीयता के भंग होने की स्थिति में उन कमियों की जांच के लिए एक पूछताछ समिति का गठन किया जाएगा जिनके कारण गोपनीयता भंग हुई। पूछताछ समिति इन कमियों के कारणों की जांच करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई किये जाने की सिफारिश करेगी।

भाग 3

बाल अधिकारों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग : सुसंगत कानून और दिशानिर्देश

देश में बाल अधिकारों के विभिन्न पहलुओं को कानूनी प्रावधानों से संरक्षित रखा गया है। इस संबंध में, भारत में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कई कानून और दिशानिर्देश जारी किये गये है जो बाल अधिकारों के मामलों की रिपोर्टिंग सही नजरिये के साथ करने में मीडिया की सहायता करते हैं। कुछ सुसंगत कानूनी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा यहां दिया जा रहा है :

3.1 भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978

जैसा कि इस अधिनियम की धारा 13(2) (ख) में कहा गया है, भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता कार्य के लिए नियम बनाए हैं। पत्रकारिता आचार नियमों के वर्ष 2010 के संस्करण में वर्ष 1996 से बनते आ रहे नियमों को न्याय निर्णयों और रायों के आधार पर अपडेट किया गया है।

निजता का अधिकार

6 (i) प्रेस तब तक किसी व्यक्ति की निजता को नहीं छोड़ेगा या उस पर आक्रमण नहीं करेगा, जब तक कि जनहितकारी या रुग्ण जिज्ञासा का कारण न बनकर, सार्वजनिक हित को नजरअंदाज न किया गया हो। हालांकि, एक बार सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला बन जाने के बाद, निजता का अधिकार नहीं बनता है और यह प्रेस और मीडिया द्वारा दूसरों के बीच टिप्पणी के लिए एक वैध विषय बन जाता है। महिलाओं को कलंकित करने की आशंका वाली रिपोर्टों में विशेष सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है ।

स्पष्टीकरणः किसी व्यक्ति के घर, परिवार, धर्म, स्वास्थ्य, कामुकता, व्यक्तिगत जीवन और निजी मामलों से संबंधित चीजें निजता की अवधारणा के अन्तर्गत आती हैं सिवाए सार्वजनिक या सार्वजनिक हित पर इनमें से कोई भी चीज बाधा न बन रही हो।

पहचान के खिलाफ रखी जाने वाली सावधानीः

6. (ii) बलात्कार, अपहरण या महिलाओं / महिलाओं के अपहरण या बच्चों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध की रिपोर्ट करते समय, या महिलाओं की शुद्धता, व्यक्तिगत चरित्र और गोपनीयता पर संदेह और प्रश्न उठाते हुए, पीड़ितों के नाम, उनकी तस्वीरें या अन्य विवरण उनकी पहचान के लिए प्रकाशित नहीं किये जाएंगे।

6 (iii) छोटे बच्चे और शिशु जो यौन शोषण या जबरन विवाह 'या अवैध यौन संबंध के कारण जन्मी संतान हैं, की न तो पहचान की जाएगी और न ही उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी।

बच्चों से संबंधित कहानियों में संवेदनशीलता की सुनिश्चितता :

एचआईवी से संक्रमित और प्रभावित बच्चों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। न ही उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। इनमें ऐसे अनाथ बच्चे व अन्य बच्चे भी शामिल हैं जो अनाथाश्रमों, किशोर बाल गृहों इत्यादि में रहते हैं।

अधिक जानकारी के लिए http://presscouncil.nic.in/OldWebsite/MORMS-2010.pdf पर जाएं।

3.2 केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) अधिनियम, 1995 एवं उसके नियम, 1994

नियम 6 और 7 के अनुसार कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता यह प्रावधान करती हैं कि केबल सेवा द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम या विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा जो बच्चों को कलंकित करता हो। यह अधिनियम सभी प्रसारकों पर लागू है और इन संहिताओं का अनुपालन उनके द्वारा प्रसारित किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों पर अनिवार्यतः किया जाना है।

अधिक जानकारी के लिए http://www.trai.gov.in/sites/default/files/CableTelevisionNetworksRules1994.pdf पर जाएं।

3.3 बच्चों के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

धारा 67 : अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड – जो कोई, इलैक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है अथवा प्रकाशित या पारेषित कराता है, जो कामोत्तेजक है या जो कामुकता की अपील करती है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है जो व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है जिसमें सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें अंतर्विष्ट या उसमें आरूढ़ सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है, पहली बार दोषी पाए जाने पर साधारण या कठोर, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि अधिकतम तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, और दूसरी या बाद में दोषी पाए जाने की दशा में, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

67क : कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड – जो कोई, किसी ऐसी सामग्री को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करता है या पारेषित करता है या प्रकाशित या पारेषित कराता है, जिसमें कामुकता व्यक्त करने का कार्य या आचरण अंतर्वलित है, उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर साधारण या कठोर, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारवास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, और दूसरी बार या

पश्चातवर्ती दोषी ठहराए जाने पर, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास स, जो अधिकतम सात वर्ष तक का हो सकेगा, और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

धारा 67ख : कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड –

यदि कोई व्यक्ति –

(क) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या पारेषित करेगा या प्रकाशित या पारेषित कराएगा, जिसमें कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य या आचरण में लगाए गए बालकों को चित्रित किया जाता है; या

(ख) अश्लील या अभद्र या कामुकता व्यक्त करने वाली रीति में बालकों का चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ या अंकीय चित्र किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में तैयार करेगा, संगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, पढ़ेगा, डाउनलोड करेगा, उसे बढ़ावा देगा, आदान–प्रदान या वितरित करेगा; या

(ग) कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के लिए और उसके संबंध में या ऐसी रीति मे बालकों को एक या अधिक बालकों के साथ ऑन–लाइन संबंध के लिए लगाएगा, फुसलाएगा या उत्प्रेरित करगा, जो कंप्यूटर संसाधन पर किसी युक्तियुक्त वयस्क को बुरी लग सकती है; या

(घ) ऑन–लाइन बालकों का दुरुपयोग किए जाने को सुकर बनाएगा; या

(ङ) बालकों के साथ कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के संबंध में अपने दुर्व्यवहार को किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में अभिलिखित करेगा,

तो वह प्रथम बार दोषी ठहराए जाने पर साधारण या कठोर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, और दूसरी और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जो अधिकतम सात वर्ष तक हो सकता है, और दस लाख रुपये तक के जुर्मान से, दंडित किया जाएगा।

परन्तु धारा 67, धारा 67क और धारा 67ख के प्रावधानों में निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या इलैक्ट्रॉनिक रूप में आकृति नहीं आती है :–

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनकल्याण के रूप में न्यायोचित साबित किया गया हो कि ऐसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या आकृति, विज्ञान, साहित्य या शिक्षण या सामान्य महत्त्व के अन्य उद्देश्यों के हित में है; या

(ii) जिसे नैसर्गिक धरोहर या धार्मिक प्रयोजनो के लिए इस्तेमाल किया जाना हो। स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए 'बच्चों' का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसका 18 वर्ष की आयु पूरी नही हुई है।

अधिक जानकारी के लिए http://lawmin.nic.in/id/P-ACT/2000/The%20Information%20Technology%20Act%202000.pdf पर जाएं।

3.4 किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनिय, 2015

अध्याय 9–बच्चों के विरुद्ध अन्य अपराध

धारा 74 : (1) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य–श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या किसी पीड़ित बच्चे या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतर्वलित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे किसी बच्चे का चित्र प्रकाशित किया जाएगा :

परंतु यथास्थिति, जांच करने वाला बोर्ड या समिति, ऐसा प्रकटन, लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से तब अनुज्ञात कर सकेगी, जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस, चरित्र प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बच्चे के किसी रिकॉर्ड का, ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जहां मामला बंद किया जा चुका हो या उसका निपटारा किया जा चुका हो।

(3) उपधारा (1) के उपबंधो का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 75 : बच्चों के प्रति क्रूरता के लिए दंड : जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बच्चे पर ऐसी रीति से, जिससे उस बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होने की संभावना हो, हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला किया जाना, उसका परित्याग, उत्पीड़न, उच्छन्न या उसकी उपेक्षा किया जाना कारित करेगा या ऐसा किए जाने के लिए उसे प्राप्त करेगा, वह तीन वर्ष तक के कारावास से या एक लाख रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ;

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि जैविक माता–पिता द्वारा बच्चे का ऐसा परित्याग उनके नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा परित्याग जानबूझकर नहीं है और ऐसे मामलों में इस धारा के दांडिक उपबंध लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और कि यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो किसी संगठन द्वारा नियोजित है या उसका प्रबंधन कर रहा है, जिसे बच्चे की देखरेख और संरक्षण सौंपा गया है, तो वह पांच वर्ष तक के कठोर कारवास से और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु यह भी कि पूर्वोक्त क्रूरता के कारण यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या वह मानसिक रूप से नियमित कार्यों को करने में अयोग्य हो जाता है या उसके जीवन या अंग को खतरा होता है, तो क्रूरता करने वाला व्यक्ति न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

धारा 76 : भीख मांगने के लिए बच्चे को काम पर रखा जाना : (1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाता है, वह पांच वर्ष तक के कारावास से और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति बच्चे के अंग काट देता है या उसे विकलांग बनाता है तो वह न्यूनतम सात वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास से और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति बच्चे का वास्तविक भारसाधन करते हुए या उस पर नियंत्रण रखते हुए उसे उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के कारित करने का दुष्प्रेरण करता है वह उपधारा (1) मे वर्णित दंड से दंडनीय होगा और ऐसे व्यक्ति को धारा 2 के खंड (14) के उपखण्ड (5) के अधीन अयोग्य माना जाएगा :

परंतु ऐसे बच्चे को किसी भी स्थिति में विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के भारसाधन या नियंत्रण से हटा लिया जाएगा तथा उसके समुचित पुनर्वास के लिए उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

धारा 77 : बच्चे को मादक लिकर या स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति : यदि कोई व्यक्ति सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय किसी बच्चे को कोई मादक लिकर या कोई स्वापक ओषधि या तंबाकू उत्पाद या मनःप्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा, वह सात वर्ष तक के कठोर कारावास से और एक लाख रुपये तक के जुर्मान से दंडनीय होगा।

धारा 78 : मादक द्रव्य की बिक्री में बच्चे को लगाना : यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का उपयोग किसी मादक लिकर, स्वापक ओषधि, मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय , साथ रखने, पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए करेगा, वह सात वर्ष तक के कठोर कारवास से और एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

3.5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012

अध्याय 5. धारा 20. मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता :

मीडिया या होल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का कोई कार्मिक, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना, किसी ऐसी सामग्री या वस्तु के उपयोग की जानकारी यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा जो किसी बच्चे के लैंगिक शोषण से संबंधित है, (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बच्चे या बच्चों का अश्लील प्रदर्शन करना भी सम्मिलित है)।

अध्याय 5 : धारा 21. मामले की रिपोर्ट करने या रिकॉर्ड करने में विफल रहने के लिए दंड :

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 19 के उपधार (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है, तो वह कठोर या साधारण, दोनों में से किसी भी प्रकार के छह माह तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) किसी कंपनी या किसी संस्था (चाहे वह जिस नाम से ज्ञाता हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, वह एक वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बच्चे पर लागू नहीं होती।

अध्याय 5. धारा 23 : मीडिया के लिए प्रक्रिया :

(1) कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बच्च के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका–टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।

(2) किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट, बच्चे की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं, जिनसे बच्चे की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगी। परन्तु ऐसे कारणों से जो रिकॉर्ड किये जाएंगे, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बच्चे के हित में है।

(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोगों के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह न्यूनतम छह माह और अधिकतम एक वर्ष तक के साधारण या कठोर कारावास से या जुर्माने से या फिर दोनो से दंडित किया जाएगा।

http:/wcd.nic.in/sites/default/files/protectionbill.pdf

3.6 भारतीय दंड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 228 क : कतिपय अपराधों के शिकार व्यक्ति की पहचान का खुलासा आदि :

(1) जो कोई भी किसी व्यक्ति का नाम या किसी भी मामले को छापता या प्रकाशित करता है, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति (बाद में इस खंड में पीड़ित के रूप में संदर्भित) की पहचान हो सकती है, जिसके खिलाफ धारा 376, धारा 376क, धारा 376 ख, धारा 376 ग या धारा घ के तहत अपराध दर्ज है या कि अपराध हुआ पाया गया है। तो उसे साधारण या कठोर, दोनों में से किसी भी प्रकार के अधिकतम दो वर्ष के कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान निम्नलिखित प्रकार के प्रकाशनों पर लागू नहीं होंगे जिनसे पीड़ित की पहचान हो सकती है –

(ए) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश के तहत या उसके द्वारा जारी प्रकाशन जो कि इस तरह के मामलों में सद्विश्वास में जांच कर रहा है; या

(बी) पीड़ित द्वारा या उसकी लिखित अधिकारिता के अन्तर्गत जारी प्रकाशन ; या

(ग) जहां पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है या पीड़ित नाबालिग है या विक्षिप्त है, वहां पीड़ित के परिजनों की लिखित अधिकारिता से जारी प्रकाशन :

किन्तु परिजनों के द्वारा इस तरह की कोई भी अधिकारिता किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन, चाहे उसका जो भी नाम हो, के अध्यक्ष या सचिव के अलावा किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन" का अर्थ है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सामाजिक कल्याण संस्थान या संगठन।

(३) जो कोई भी उप–धारा (1) में उल्लिखित अपराध के संबंध में अदालत के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही के संबंध में अदालत की पूर्वानुमति के बिना कोई भी मामला छापता या प्रकाशित करता है, उसे कठोर या साधारण, किसी भी प्रकार के दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण– किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ के तहत अपराध की श्रेणी मे नहीं आता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327(3)

यह धारा भी ऐसे मामलों में पीड़ित का नाम न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना छापने पर प्रतिबंध लगाती है जिनमें सुनवाई कैमरे के सामने चल रही हो।

3.7 भारतीय विज्ञापन मापदंड परिषद (एएससीआई) द्वारा विज्ञापनों में आत्मनियंत्रण के लिए संहिता

इस संहिता का प्रयोजन उत्पादों की बिक्री को रोकना नहीं बल्कि विज्ञापनों के कंटेंट पर नियंत्रण करना है, जो कि घृणास्पद हो सकता है, कारण चाहे जो हो। किन्तु ऐसे उत्पादों के विज्ञापन स्वयं घृणास्पद नहीं होते, इसलिए इस संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत उनपर आपत्ति करने का कोई आधार नहीं बनता।

जब भी किसी विज्ञापन की स्वीकार्यता को लेकर परस्पर विरोधी तर्क उत्पन्न होते हैं, चाहे विज्ञापन को विज्ञापन जगत के अन्दर से चुनौती मिले या बाहर से, तो संहिता के नियम

इस विषय पर निर्णय का आधार बनते हैं। आम जनता और विज्ञापन देने वाले के प्रतिस्पर्द्धी, दोनों के पास विज्ञापनों के कंटेंट के साफ–सुथरा, बुद्धिमतापूर्ण तथा उत्तरदायित्वपूर्ण होने की अपेक्षा करने का समान अधिकार है। यह संहिता विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों तथा मीडिया पर लागू होती है।

संहिता के तीसरे अध्याय (नुकसानदायक उत्पाद/स्थितियों के विरुद्ध) में ऐसे उत्पादों के प्रमोशन के लिए या ऐसी दशाओं में विज्ञापन के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल के विरुद्ध रक्षोपाय देने के लिए विशेष रूप से संकेत किया गया है जो कि समाज के लिए या व्यक्तियों के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए अस्वीकार्य स्तर तक खतरनाक या नुकसानदायक है।

बच्चों के लिए आशयित विज्ञापनों में ऐसी कोई सामग्री, चाहे चित्र या कुछ और, नहीं होगी जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को कोई शारीरिक, मानसिक या नैतिक नुकसान पहुंचे या उनकी कोमलता का शोषण हो।

उदाहरण के लिए, विज्ञापन

(1) बच्चों को कूपन, रैपर्स, लेबल या ऐसी ही अन्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अनजान जगहों पर जाने या अजनबियों से बात करने के लिए प्रेरित न करें।

(2) विज्ञापनों में ऐसे खतरनाक या नुकसानदायक एक्शन नहीं होने चाहिए जो बच्चों को उनकी नकल करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें चोट लगने की आशंका हो।

(3) विज्ञापनों में बच्चों को दियासलाई या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल करते या उसके साथ खेलते हुए; बंदूकों, पैने चाकुओं या मशीनी या बिजली के सामानों से खेलते/इस्तेमाल करते, नहीं दिखाया जाना चाहिए जिनके लापहरवाहीपूर्ण इस्तेमाल से बच्चों को चोट लगने, जलने, करंट लगने या अन्य नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है।

(4) तंबाकू या अल्कोहलयुक्त उत्पादों के विज्ञापनों में बच्चों को चित्रित न किया जाए।

(5) ऐसे उत्पादों के विज्ञापनों में खेल या मनोरंजन जगत की हस्तियों को चित्रित नहीं किया जाना चाहिए जिनके विज्ञापन या पैकेजिंग में कानून के अनुसार स्वास्थ्य चेतावनी देनी आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए http://ascionline.org/images/pdf/code_book.pdf पर जाएं।

3.8 बच्चों पर रिपोर्टिंग पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश

वर्ष 2012 में बच्चों से संबंधित मामलों के मीडिया में रिपोर्टिंग करने के संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने कहा कि

''बच्चों से संबंधित मामलों में मीडिया की कवरेज उनके सम्पूर्ण विकास (शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावानात्मक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास आदि), जीवन और गरिमा पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती है और इस संबंध में यदि मीडिया द्वारा सावधानी बरतने में कमी की गई हो तो बच्चों पर नुकसान, कलंक, अयोग्यता, प्रतिशोध आदि का खतरा भी बना रहता है। बच्चों की निजता, गरिमा, शारीरिक और भावनात्मक विकास का सर्वाधिक महत्त्व है, और इसलिए बच्चों पर या उनके लिए किसी खबर/कार्यक्रम, डॉक्यूमेन्टरी आदि की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन करते समय हमेशा इनकी रक्षा की जानी चाहिए।'' माननीय उच्च न्यायालय ने बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिंग के दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एनसीपीसीआर को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात् समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट का अनुमोद माननीय न्यायालय ने किया।

''नीचे उल्लिखित दिशानिर्देश बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने तथा बच्चों पर या बच्चों के लिए खबरों/कार्यक्रमों/डॉक्यूमेन्टरीज़ आदि की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन के संबंध में प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया (यहां और इसके आगे 'मीडिया' कहा जाएगा) द्वारा निभाए जाने वाले दायित्व के न्यूनतम मानक तय करने हेतु प्रस्तावित हैं।''

1. इस्तेमाल किये गये शब्दों का अर्थ :

1.1 'बच्चे' या 'बच्चों' का आशय ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों से है जिसने/जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो;

1.2 'मीडिया' में असीमित रूप से कोई समाचार पत्र, पत्रिका, न्यूजशीट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मिलित होगा।

2. सिद्धांत :

2.1 खबरों/कार्यक्रमों/डॉक्यूमेंटरीज आदि में बच्चों की भूमिका को संपादकीय रूप से न्यायसंगत बनाया जाएगा और इसमें बाल अधिकारों के दृष्टिकोण को भी सम्मिलित किया जाएगा।

2.2 मीडिया को सुनिश्चित करना होगा कि बलात्कार, अन्य यौन अपराधों, तस्करी, मादक/ओषधि दुर्व्यवहार, पलायन, सुनियोजित अपराध, युद्ध में इस्तेमाल किये गये, विधि के विरुद्ध पाए गए बच्चों और बाल साक्षियों आदि को आजीवन गुमनामी की गारण्टी मिलेगी अर्थात उनकी पहचान सदैव गुप्त रखी जाएगी।

2.3 मीडिया यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे के निजता के अधिकार को बनाए रखने का और बच्चों पर या बच्चों के लिए खबरों/कार्यक्रमों/डॉक्यूमेंटरीज़ आदि की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन के संबंध में बच्चे को बेचैनी, तनाव, आघात, सामाजिक कलंक, जीवन के संकट तथा सुरक्षा और पीड़ा से बचाने का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा।

2.4 मीडिया यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे की पहचान किसी भी प्रकार से उजागर न हो, इसमें व्यक्तिगत जानकारी, फोटोग्राफ, स्कूल/संस्थान/निवास का स्थल तथा परिवार की जानकारी (निवास/कार्यालय के पते सहित) भी शामिल है।

2.5 मीडिया को बच्चों से संबंधित मुद्दों व कहानियों को सनसनीखेज तरीके से नहीं दिखाना चाहिए और ऐसी जानकारी को सनसनीखेज तरीके से दिखाने/प्रकट करने के दुष्परिणामों के प्रति और बच्चों को उससे होने वाले नुकसान के प्रति गंभीर रहना चाहिए।

2.6 मीडिया द्वारा बच्चे का इंटरव्यू लिया जाना :

इंटरव्यू निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए लिया जाएगा :

क) कि इंटरव्यू बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।

ख) कि इंटरव्यू बच्चे की दशा को और नहीं बिगाड़ देगा।

ग) कि इंटरव्यू लेने के तरीके और उसके कंटेंट से बच्चे की निजता के अधिकार पर प्रभाव/हस्तक्षेप नहीं होगा।

(घ) कि यदि इंटरव्यू बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, तो उसे बच्चे के माता–पिता या कानूनी संरक्षण या विकल्पस्वरूप बच्चे के लिए सक्षम अधिकारी के पर्यवेक्षण में और सहमति से ही लिया जाएगा।

(ङ) कि बच्चे का इंटरव्यू लेते समय उसकी आयु और परिपक्वता के आधार पर उससे सहमति ली जाएगी।

(च) बच्चे का बार–बार इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।

(छ) यदि बच्चा इंटरव्यू के लिए मना करता है तो उसके निर्णय का सम्मान किया जाएगा।

(ज) इंटरव्यू लिये जाने से पूर्व बच्चे को इंटरव्यू के प्रयोजन और तरीके के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा।

(झ) बच्चे को या उसके माता–पिता/संरक्षक या बच्चे पर नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए हामी भरने हेतु फुसलाया नहीं जाएगा या दबाव नहीं डाला जाएगा, इसमें वित्तीय या अन्य प्रलोभन भी शामिल हैं।

2.7 मीडिया को उन व्यक्तियों/संगठनों के परिचय पत्र और अधिकारिता का सत्यापन करना होगा जिनकी सहमति बच्चों की ओर से ली जानी आवश्यक है।

2.8 मीडिया बच्चों पर या उनके लिए किसी खबर/कार्यक्रम/डॉक्यूमेंटरी आदि की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन के संबंध में बच्चे या उसके माता–पिता/संरक्षक को कोई वित्तीय या अन्य प्रलोभन नहीं देगी।

2.9 मीडिया अनुपयुक्त कंटेंट से बच्चों का संरक्षण करने के अपने दायित्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार/जानने के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करेगी।

2.10 बच्चे की पहचान को संरक्षित करने के लिए मीडिया यह सुनिश्चित करेगी कि जिन मामलों में सिद्धान्त 2.2 में बताए गए अनुसार निजता/गोपनीयता बनाए रखी जानी है, उनमें बच्चे के चेहरे वाले विजुअल को पूरी तरह से ब्लर्ड किया जाएगा।

2.11 मीडिया को अपने संपादकीय कार्मिकों को, जिनमें संपादक/संपादकीय टीम, रिपोर्टर्स, संवाददाता/निर्माता/फोटोग्राफर्स आदि शामिल हैं, बच्चों पर या बच्चों के लिए खबरों/कार्यक्रमों/डॉक्यूमेंटरीज़ आदि की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन करने के संबंध में लागू होने वाले कानूनों, नियमों, विनियमनों तथा दिशानिर्देशों के बार में जागरूक/संवेदनशील बनाना चाहिए।

2.12 मीडिया को बच्चों के सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को आगे बढ़कर प्रमोट करना चाहिए।

2.13 **प्रचार :** सभी राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों के सूचना एवं जन संपर्क विभाग, फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय, विज्ञापन और विजुअल पब्लिसिटी निदेशालय (डीएवीपी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती (ऑल इडिया रेडियो एवं दूरदर्शन), स्वनियामक निकाय आदि को पर्याप्त अंतराल पर बच्चों पर या बच्चों के लिए खबरों/कार्यक्रमो/डॉक्यूमेन्टरी आदि की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन से संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का यथोचित प्रचार–प्रसार करना होगा।

2.14 मॉनीटरी : बच्चों पर या बच्चों के लिए खबरों/कार्यक्रमों/डॉक्यूमेन्टरी आदि की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन से संबंधित सुसंगत कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरी निम्नलिखित के द्वारा की जाएगी :

(क) स्वनियामक निकाय।

(ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नियामक प्रणाली जैसे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) और अन्तर्मंत्रालय समिति (आईएमसी)

(ग) अपने संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया।

2.15 स्टेटस रिपोर्ट : एनसीपीसीआर/एससीपीसीआर सभी संबंधित व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा सुसंगत कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन के स्तर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष भेजेगा।

3.9 न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के दिशानिर्दश

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने स्वनियमन की पूर्ति के लिए सामान्यतया स्वीकृत कंटेंट दिशानिर्देश स्थापित किये हैं। इसका प्रयोजन ऐसे संपादन सिद्धान्तों को परिभाषित करना है जो भारतीय संविधान में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और टीवी दर्शकों की संवेदनाओं के मतों के अनुरूप हैं।

स्वनियमन के इन सिद्धान्तों का प्रयोजन यह है कि समाचार चैनलों द्वारा स्थापित मूलभूत मूल्यों और उद्देश्यों की समझ की स्वीकारात्मक घोषणा की जाए और उनका अनुपालन किया जाए। इन मूल्यों के अनुपालन से टेलीविजन पत्रकारिता का व्यवसाय भी सशक्त होगा तथा यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि संतुलित और व्यापक पत्रकारिता फल–फूल रही है।

स्वनियमन के सिद्धान्तों का भाग 2 निम्नलिखित बात रेखांकित करता है :

न्यूज चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि वे मॉर्फिंग के बिना पुरुष या महिला रूप की नग्नता प्रदर्शित नहीं करेंगे। चैनल्स यौन क्रिया या बलात्कार अथवा उत्पीड़न जैसे यौन हिंसा के कार्यों या यौन विकारों की तस्वीरें भी नहीं दिखाएंगे। न ही पॉर्नोग्राफी या यौन सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। (योग्य बनने के लिए चैनल्स से नैतिकतापूर्ण या अति संकोची बनने की अपेक्षा नहीं होती, और इस स्वनियमन का उद्देश्य नैतिक व्यवस्था रखने का भी नहीं है, बल्कि यह तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि खुल्लमखुल्ला प्रतिगामी और प्रकट यौन कार्य या विजुअल्स कहीं प्रसारित न हो जाएं।)

1. अपराध पर रिपोर्टिंग और अपराध एवं हिंसा को सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपायों की प्रशंसा नहीं की जाएगी

टेलीविजन की खबरों की पहुंच अन्य मीडिया स्वरूपों की तुलना में अधिक है और इसका प्रभाव भी अधिक तेजी से पड़ता है। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि चैनल्स यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध के प्रावधान लागू करें कि कोई भी रिपोर्ट या विजुअल प्रसारण हिंसा और हिंसा करने वाले लोगों को प्रेरित करने, उनकी प्रशंसा करने या उनके कार्य को सकारात्मक दिखाने वाला न हो, चाहे उसकी विचारधारा या संदर्भ कुछ भी हो। ऐसे दृश्यों का प्रसारण करने से पूर्व विशेष सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है जो हानिकारक या भड़काऊ हो सकते हैं। इसी प्रकार, हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय (चाहे वे सामूहिक हों या एकाकी) हिंसा कार्य की कभी प्रशंसा नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे दर्शकों पर भ्रामक और असंवेदनशील प्रभाव पड़ सकता है। समाचार चैनल्स यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे रीकंस्ट्रक्शन कभी अच्छे टेस्ट और व्यावहारिकता की सीमा नहीं लाघें। पीड़ा, भय या तकलीफ के दृश्य दिखाते समय तथा आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने के दृश्य को प्रदर्शित करते समय भी पर्याप्त सावधानी बरती जानी होगी तथा यह देखा जाना होगा कि ये दृश्य अच्छे टेस्ट और उपयुक्तता से युक्त हों।

2. महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा या डांट–फटकार

समाचार चैनल्स यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसी महिला या बच्चे को, जो यौन हिंसा, छेड़छाड़, आघात का शिकार हुआ हो, या ऐसी किसी घटना का साक्षी रहा हो, उसकी पहचान छिपाने का प्रयास किये बिना टेलीविजन पर न दिखाया जाए। यौन हमले या ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय, जिनका संबंध महिलाओं के व्यक्तिगत चरित्र या निजता से हो, महिलाओं के नाम, तस्वीरें और अन्य ब्यौरे प्रसारित नहीं किये जाएंगे। इसी प्रकार बाल दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों और अपराधियों की पहचान भी उजागर नहीं की जाएगी और उनकी तस्वीरें भी पहचान छिपाने के लिए मॉर्फ कर दी जाएंगी।

अधिक जानकारी के लिए http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/5.%20Indian%20News%20Broadcasters%20Association%20of%India.pdf पर जाएं।

3.10 इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) द्वारा जारी दिशानिर्देश

किसी स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक निकाय की गैरहाजिरी में, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) ने स्वनियमन दिशानिर्देश अपनाए जिससे वह सर्जनात्मकता को सुकर बनाने, दृष्टिकोणपरक विविधता तथा विचारों की बहुलता को प्रमोट करने के लिए एक सक्षम वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के तौर पर कार्य पर कर सके।

इन दिशानिर्देशों में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लिया जाने वाला एक संकल्प समाविष्ट है कि वे सामाजिक आचार विचार, वैज्ञानिक विकास, कानूनी मिसालों और सांविधिक बाध्यताओं को प्रकट करने के लिए एक साथ खड़े होंगे और इसके लिए समय–समय पर समीक्षा की जाती रहेगी। नीचे दिये गये भागों में रेखांकित सिद्धांत उन सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए परिपूर्ण और उपयुक्त भल ही न हो, जिनका मुकाबला किसी प्रसारणकर्ता को करना पड़ता है, किन्तु इन्हें इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये प्रसारणकर्ता को जरूरी निर्णयों तक पहुंचने और उन्हें अपनाने में सहायता करते हैं। ऐसा कोई भी निर्णय लेते समय, प्रसारणकर्ता टेलीविजन प्रसारण के संबंध में लागू होने वाले सुसंगत भारतीय कानूनों का अनुपालन करेगा।

जब बात बच्चों को दर्शकों के तौर पर देखने की आती है, तो आईबीएफ ने निम्नानुसार कार्यक्रमों को दो वर्ग अर्थात वर्ग जी और वर्ग 'आर' में बांटने की सिफारिश की है।

तालिका 3.1 बाल दर्शकों के लिए कार्यक्रमों का वर्गीकरण

ऑडियो–विजुअल प्रस्तुतिकरण : किसी भी कंटेंट का ऑडिया विजुअल प्रस्तुतिकरण एक जिम्मेदार और सुरुचिपूर्ण तरीके से होगा बशर्ते निम्नलिखित **'नहीं किया जाएगा'** शब्दों को इन वर्गों में जोड़कर देखा जाए।	
वर्ग ''जी''	वर्ग ''आर''
निर्बाध देखने और/या मातापिता के मार्गदर्शन में देखे जाने योग्य कार्यक्रम	**ऐसे कार्यक्रम जो बच्चों और छोटे दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं है**
क) अत्यंत स्पष्ट या वीभत्स अपराध या हिंसा	क) अत्यंत स्पष्ट या वीभत्स अपराध या हिंसा
ख) उन्मादपूर्ण या असामान्य हिंसा या खतरनाक बर्ताव का अत्यंत स्पष्ट रूप	ख) उन्मादपूर्ण या असामान्य हिंसा या खतरनाक बर्ताव का अत्यंत स्पष्ट रूप
ग) तुड़े–मुड़े अंगों या विच्छिन्न शरीर के क्लोज अप शॉट या लंबे शॉट	ग) तुड़े–मुड़े अंगों या विच्छिन्न शरीर के क्लोज अप शॉट या लंबे शॉट
घ) मरे हुए या बुरी तरह से घायल लोगों की तस्वीरें दिखाना या हिंसक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं के दृश्य दिखाते समय वीभत्स दृश्य दिखाना	घ) मरे हुए या बुरी तरह से घायल लोगों की तस्वीरें दिखाना या हिंसक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं के दृश्य दिखाते समय वीभत्स दृश्य दिखाना
ङ) जानवरों के विरुद्ध भयंकर क्रूरता दिखाना अथवा ऐसे दृश्य दिक्षाना जिनके से जानवरों को अत्यंत कष्ट और पीड़ा होती है।	ङ) जानवरों के विरुद्ध भयंकर क्रूरता दिखाना अथवा ऐसे दृश्य दिक्षाना जिनके से जानवरों को अत्यंत कष्ट और पीड़ा होती है।
च) आत्महत्या या स्वयं को चोट पहुंचाने के लिए तरीकों का वर्णन करना।	

3.11 टीवी धारावाहिकों, रियल्टी शो और विज्ञापनों में बच्चों की सहभागिता को नियंत्रित करने हेतु एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशानिर्देश

टेलीसीरियल्स, विज्ञापनों आदि में भाग लेने वाले बच्चों के अधिकारों के रक्षा करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जनवरी, 2008 के दौरान एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। श्रीमती संध्या बजाज (सदस्य, एनसीपीसीआर) की अध्यक्षता वाली इस समिति में सरकार, प्रसारण चैनलों, बाल मनोविज्ञान तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे।

समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि निम्नलिखित प्राथमिक विषयों पर सबसे पहले ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है :

1. कार्यक्रम का कंटेंट जिसमें बच्चे शामिल हैं
2. टीवी/रियल्टी शो में बच्चों की सहभागिता के लिए आयु संबंधी नियमों को परिभाषित करना
3. बाल संरक्षण और पर्यवेक्षण
4. बच्चों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दशाओं और सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना
5. माता–पिता/संरक्षक की सहमति के लिए नियम और शर्तें
6. बच्चों के लिए भुगतान
7. एक नियामक और पर्यवेक्षक प्रणाली की स्थापना।
   अधिक जानकारी के लिए http://www.ncpcr.gov.in/view_file.php?fid=378 पर जाएं।

इन दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, एनसीपीसीआर ने बच्चों के संबंध में कुछ अन्य दिशानिर्देश भी तैयार किये हैं जैसे कि

- बच्चों (3–6 वर्ष) के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों पर नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश

अधिक जानकारी के लिए http://gov.in/index1.php?lang=1&level=&linkid=261 पर जाएं।

- स्कूलों में जंक फूड के उपभोग पर एफएसएसएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश

अधिक जानकारी के लिए http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/32%20'No%20junk%20food%20on%20Chandigargh%20schools%20premises.pdf पर जाएं।

- स्कूल न जाने वाले बच्चों को परिभाषित करने के लिए समान अर्हता

अधिक जानकारी के लिए http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=886&lid=1223 पर जाएं।

3.12 बच्चों पर नैतिक रिपोर्टिंग के लिए यूनिसेफ द्वारा जारी सिद्धान्त

1. बच्चों का इंटरव्यू लिये जाने के संबंध में दिशानिर्देश
   1.1 बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए; ऐसे प्रश्नों, रवैयों और टिप्पणियों से बचा जाए जो कि आलोचनात्मक हों, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति असंवेदनशील हों, बच्चे को संकट में डालने वाली हों या उसे अपमानित

करने का अवसर प्रदान करने वाली हों, या कि किसी आघातपूर्ण घटना से बच्चे को हुई पीड़ा और दुख को पुनः उभारने वाली हों।

1.2 बच्चों को लिंग, प्रजाति, आयु, पंथ, स्टेटस, शैक्षिक पृष्ठभूमि या शारीरिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को इंटरव्यू के लिए चुनने में भेदभाव न करें।

1.3 कोई अभिनय नहीं : बच्चों को कोई कहानी सुनाने या ऐसी हरकत करने को न कहें जो उनके अतीत का हिस्सा नहीं है।

1.4 यह सुनिश्चित करें कि बच्चे या उसके अभिभावक को यह पता हो कि वह किसी रिपोर्टर से बात कर रहा है। इंटरव्यू के प्रयोजन और उसके भावी इस्तेमाल की जानकारी उसे विस्तार से दें।

1.5 सभी प्रकार के साक्षात्कारों, विडियोटेपिंग और, यथा संभव, डॉक्यूमेंटरी फोटोग्राफ के लिए बच्चे और उसके/उसकी अभिभावक की अनुमति लें। यदि संभव हो और समुचित हो, तो यह अनुमति लिखित में ली जानी चाहिए। अनुमति ऐसी परिस्थितियों में ली जाएगी जो ये सुनिश्चित कर सके कि बच्चे या उसके अभिभावक को किसी भी प्रकार से विवश नहीं किया गया है और कि वे यह समझते हैं कि वे एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जो देश–विदेश में प्रसारित हो सकती है। यह भी सामान्यतया सुनिश्चित किया जाना होगा कि अनुमति बच्चे की भाषा में ली जानी है और यदि इस बारे में निर्णय लेने से पूर्व बच्चा किसी वयस्क के साथ विचार विमर्श करना चाहता है तो वह वयस्क ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसपर बच्चा भरोसा करता हो।

1.6 इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का इंटरव्यू कहां और कैसे हो रहा है। इंटरव्यू लेने वालों और फोटो लेने वालों की संख्या सीमित रखें। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि बच्चे सहज महसूस कर हों और किसी दबाव के बिना अपनी कहानी बताने में सक्षम हों। फिल्म, विडियो और रेडियो इंटरव्यू में इस बात का ध्यान रखें किस प्रकार के विज्युअल और ऑडियो पृष्ठभूमि से बच्चे और उसकी कहानी पर प्रभाव पड़ सकता है। यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे का उसका घर, समाज या आसपास की सामान्य चीजें दिखाने से उसे संकट का अहसास न हो या ये सब उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

2. बच्चों पर रिपोर्टिंग करने के संबध में दिशानिर्देश

2.1 बच्चे को और कलंकित करने का प्रयास न करें; ऐसे वर्गीकरण और विवरणों से बचें जो बच्चे को नकारात्मक प्रतिशोध–शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति सहित, की ओर ले जाए या उसके समाज द्वारा जीवन भर के दुर्व्यवहार, भेदभाव या अस्वीकृति का कारण बन जाए।

2.2 बच्चे की कहानी या उसकी तस्वीर के लिए एक सटीक संदर्भ उपलब्ध कराएं।

2.3 ऐसे बच्चे का नाम बदल दें और उसकी तस्वीर को धुंधला कर दें जो :

क. लैंगिक दुर्व्यवहार या उत्पीड़न का शिकार बना हो,

ख. शारीरिक या लैंगिक दुर्व्यवहार का दोषी हो,

ग. एचआईवी पॉजिटिव हो, या एड्सग्रस्त हो (जब तक कि बच्चा या उसका अभिभावक पूर्ण लिखित सहमति न दे दे)

घ. किसी अपराध का आरोपित या दोषी हो।

2.4 क्षति या प्रतिशोध के संकट या संभावित संकट की कतिपय परिस्थितियों में ऐसे बच्चे का नाम बदल दें और उसकी तस्वीर बदल दें जो :

क. बाल समस्याओं का सामना कर रहा हो या पहले कर चुका हो।

ख. आश्रय लेने का इच्छुक हो, या शरणार्थी हो या आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति हो।

2.5 कतिपय मामलों में, बच्चे की पहचान–उसके नाम और/या पहचाने जा सकने योग्य तस्वीर का इस्तेमाल करना बच्चे के सर्वोच्च हित में होता है। किन्तु यदि बच्चे की पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसे प्रतिशोध या क्षति के माध्यम से लग सकने वाले किसी आघात से सुरक्षित बचाया जाना चाहिए।

ऐसे विशेष मामलों के कुछ उदाहरण निम्नानुसार है :

क. जब कोई बच्चा अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और अपनी राय को सुने जाने के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी रिपोर्टर से संपर्क करता है।

ख. जब बच्चा सक्रियतावाद या सामाजिक लामबंदी के किसी स्थायी कार्यक्रम का हिस्सा हो और स्वयं की पहचान कराना चाहता हो।

ग. जब बच्चा किसी मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हो और यह दावा करता हो कि उसका नाम और पहचान उसके स्वस्थ विकास का हिस्सा हैं।

2.6 बच्चे को जो कुछ कहना है, उसकी सटीकता की पुष्टि अन्य बच्चों से या किसी बड़े से, अथवा दोनों से, करें।

2.7 जब यह संदेह बना हुआ हो कि बच्चे के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, तो किसी एक बच्चे के बारे में रिपोर्ट करने से बेहतर है कि बच्चों की सामान्य दशाओं के बारे में रिपोर्ट की जाए, भले ही कहानी प्रकाशनयोग्य हो या नहीं।

अधिक जानकारी के लिए

http://www.unicef.org/esaro/5440_guidelines_interview.html

पर जाएं

- बच्चों का संरक्षण करने वाली राष्ट्रीय एजेंसियां
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग www.nhrc.nic.in
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग www.ncpcr.gov.in
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय www.wcd.nic.in
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित निकाय www.labour.gov.in
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय www.socialjustice.nic.in
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय www.mohfw.nic.in
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण www.cara.nic.in
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड www.cswb.gov.i

बच्चों से संबंधित अधिनियम

- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 और नियम 2006
- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं नियम 2016
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2012
- बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 2009 एवं नियम, 2010
- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
- अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956
- गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971
- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण) संशोधन अधिनियम, 2003
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013
- बाल अधिकारों पर सम्मेलन, सीआसी, 1989

Disclaimer

कृपया ध्यान दें : इस हैंडबुक के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा।

Please Note: In case of any discrepancy between the meanings of English and Hindi versions of this Handbook, the meaning of the English Language version shall prevail.